

राजस्थान पुलिस काँस्टेबल



HANDWRITTEN NOTES

भाग - 3

इतिहास + संस्कृति + भूगोल + राजव्यवस्था +
महिला एवं बाल अपराध + विविध (राजस्थान)

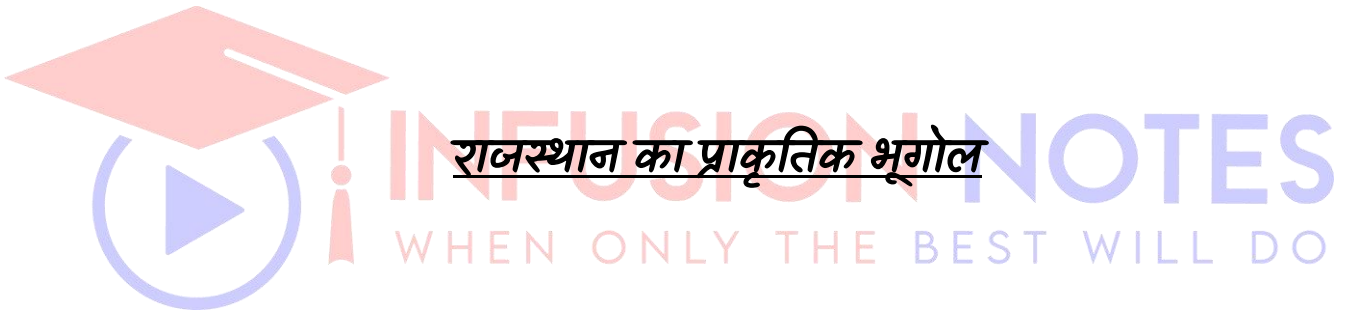
राजस्थान का इतिहास

1. राजस्थान इतिहास के स्रोत
2. राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ
3. गुर्जर प्रतिहार वंश
4. मेवाड़ का इतिहास
5. मारवाड़ का इतिहास
6. राजस्थान के वंश
7. मुगल सम्राटों और उनकी राजपूत नीति
8. मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था
9. राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियाँ
10. राजस्थान में 1857 की क्रांति में हुए प्रमुख विद्रोह
11. राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन
12. राजस्थान में प्रजामंडल
13. राजस्थान का एकीकरण

कला एवं संस्कृति

1. राजस्थान की बोलियाँ एवं साहित्य
2. प्रमुख लोक संगीत
3. लोक नृत्य एवं कला

4. प्रमुख सम्प्रदाय एवं लोक संत
5. लोक देवता और लोक देवी
6. राजस्थान में हस्त शिल्प कला
7. प्रमुख मेले एवं त्यौहार
8. सामाजिक रीत रिवाज एवं प्रथाएँ
9. राजस्थान में ठिकाना व्यवस्था
10. वस्त्र एवं आभूषण (पहनावे)
11. राजस्थान में चित्रकला



1. सामान्य परिचय
2. नदियाँ एवं झीलें
3. मुख्य सिचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ
4. राजस्थान की जलवायु
5. वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव अभ्यारण्य
6. राजस्थान में मृदा
7. खान एवं खनिज
8. पशु संसाधन

9. राजस्थान में कृषि
10. प्रमुख उद्योग
11. जनसंख्या
12. बेरोजगारी
13. राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ

राजस्थान की राजव्यवस्था

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्
3. विधानसभा
4. उच्च न्यायालय
5. राजस्थान लोकसेवा आयोग
6. राज्य मानवाधिकार आयोग
7. लोकायुक्त
8. राज्य निर्वाचन आयोग
9. राज्य सूचना आयोग
10. राजस्थान राज्य महिला आयोग
11. जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन
12. पंचायती राज व्यवस्था

13. महिला एवं बाल अपराध कानून / अधिनियम

- विविध
- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दिवस
- पुस्तक एवं लेखक
- भारत में सर्वाधिक बड़ा लम्बा ऊँचा
- विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लम्बा, ऊँचा
- भारत में प्रथम पुरुष
- भारत में प्रथम महिला
- भारत किन-किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखता है
- पुरस्कार
- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
- साहित्यिक एवं संस्कृतिक पुरस्कार / ज्ञान पीठ पुरस्कार / विज्ञान पुरस्कार / पर्यावरण पुरस्कार
- विश्व के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय
- अविष्कार एवं अविष्कारक
- खेल एवं खेल पुरस्कार
- भारत में विश्व धरोहर स्थल
- विश्व में प्रथम

राजस्थान का इतिहास

अध्याय - 2

राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ

1. कालीबंगा की सभ्यता -

- यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता जिसे पीलीबंगा की सभ्यता कहते हैं विकसित हुई।
- इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले एक पुरातत्ववेत्ता एवं भाषा शास्त्री लुईसपीतैसीतौरी थे। इन्होंने इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले परिचय दिया लेकिन इस सभ्यता की तरफ किसी का पूर्णरूप से ध्यान नहीं था इसलिए इसकी खोज ही हो पाई।
- इस सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। उन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी।
- इनके बाद में इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी।
- 1. बृजवासीलाल 2. बीके (बालकृष्ण) थापर इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी।

लुईसपीतैसीतौरी का जन्म इटली में जन्म सन् 1887 में हुआ। और यह 1900 ईस्वी में भारत आए। यह बीकानेर राज्य में सबसे पहले आए। उस समय के तत्कालीन राजा महाराजागंगा सिंह जीने इन्हें अपने राज्य का सभी प्रकार का चारण साहित्य लिखने की जिम्मेदारी दी। बीकानेर संग्रहालय भी इन्होंने ही बनवाया है।

- इस सभ्यता का कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है।

- कालीबंगा शब्द "सिन्धी भाषा" का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है - "काले रंग की चूड़ियाँ"। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियों की बहुत सारी ढेर प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया।
- कालीबंगा की सभ्यता है भारत की ऐसी पहली सभ्यता स्थल है जो स्वतंत्रता के बाद खोजी गई थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है।
- हनुमानगढ़ जिले से इस सभ्यता से संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 1985 - 86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।

यह सभ्यता की विशेषताएं -

- इस सभ्यता की सड़के एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं इसलिए यहां पर मकान बनाने की पद्धति को "ऑक्सफोर्ड पद्धति" कहते हैं। इसी पद्धति को जाल पद्धति, ग्रीक, चेम्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जानते हैं।
- मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे, आरम्भ यह कच्ची ईंटें थीं इसलिए इस सभ्यता को दीन हीन सभ्यता भी कहते हैं इन ईंटों का आकार 30 x 15 x 7.5 है।
- इन मकानों की खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर होते थे
- यहां पर जो नालियां बनी हुई थी वह लकड़ी (काष्ठ) की बनी होती थी। आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था (विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहां लकड़ियों की बनी नालियां मिली हैं वह कालीबंगा स्थल है) विश्व की प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण इसी सभ्यता से मिलते हैं।
- यहां पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों में दरारें मिलती हैं इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं।
- यहां के लोग एक साथ में दो फसलें करते थे अर्थात् फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं जौ और गेहूं।
- यहां पर उत्खनन के दौरान यज्ञकुंड / अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं यहां के लोग बलिप्रथा में भी विश्वास रखते थे।

- इस सभ्यता का पालतू जानवर कुत्ता था । यह सभ्यता के लोग ऊँट से भी परिचित थे । इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा से भी परिचित थे।
- विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं यहां पर मूर्तिपूजा, देवी / देवता के पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
- यहां पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। यह समाधि तीन प्रकार की मिलती है अर्थात् तीन प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था
- अंडाकार गड्ढे खोद कर व्यक्ति को दफनाना । इस गड्ढे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे
- अंडाकार गड्ढे खोदकर व्यक्ति को तोड़मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना
- एक खड्डा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना ।
- स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है इस स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग यहां के लोग वास्तुदोष को दूर करने के लिए किया करते थे ।
- कालीबंगा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समानता के प्रमाण बेलनाकार बर्तन मिलते हैं ।
- यहां पर एक कपाल मिलता है जिसमें छः प्रकार के छेद थे। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहां के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे अर्थात् शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिलते हैं।
- यहां पर एक सिक्का प्राप्त होता है जिस के एक ओर स्त्री का चित्र है तथा दूसरी ओर चीता का चित्र बना हुआ है अर्थात् अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां पर परिवार की मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन था।
- कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है।
- कालीबंगा सभ्यता में इस सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था।
- इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, इसका प्रमाण सामूहिक तंदूर से मिलता है क्योंकि तंदूर मध्य एशिया से सम्बंधित है।
- इस सभ्यता के भवनों का फर्श सजावट एवं अलंकृत के रूप में मिलता है

आहड़सभ्यता : - इस सभ्यता का विकास राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित आहड़ नामक स्थान पर हुआ अर्थात् इस सभ्यता का सर्वप्रथम प्रमाण आहड़ नामक स्थान पर हुए उत्खनन से प्राप्त हुए थे।

यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई आयड़ नदी उदयपुर की उदयसागर झील से इस नाम से जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ नगर बेडच नदी के किनारे बसा है जबकि

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - 3

गुर्जर प्रतिहार वंश

- गुर्जर प्रतिहारों ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया ।
- डॉ. आर सी. मजूमदार के अनुसार-गुर्जर प्रतिहारों ने छठी से ११ वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया ।
- जोधपुर के बौक शिलालेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का अधिवास मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था ।
- 8वीं-10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में मंदिर व स्थापत्य निर्माण शैली महाभारत शैली/गुर्जर-प्रतिहार शैली प्रचलित थी ।
- अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा या गुर्जरात्रा प्रदेश से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर-प्रतिहार के नाम से जाना गया ।
- गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव केन्द्र मारवाड़ था । गुर्जरात्रा प्रदेश में रहने के कारण प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार कहलाए ।
- गुर्जरात्रा प्रदेश की राजधानी भीनमाल (जालौर) थी । बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक ' हर्षचरित ' में गुर्जरों का वर्णन किया है ।
- इस वंश की प्राचीनता बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में 'गुर्जर जाति' का सर्वप्रथम उल्लेख से मिलती है ।
- डॉ. आर सी. मजूमदार के अनुसार-प्रतिहार शब्द का प्रयोग मण्डोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ है क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे ।
- चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सी-यू-की में कु-चे-लो (गुर्जर) देश का उल्लेख करता है ।
- जिसकी राजधानी पि-लो-मो-लो (भीनमाल) में थी । अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को 'जुर्ज' भी कहा है ।
- अल मसूदी प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजा को 'बोरा' कहकर पुकारता है । भगवान लाल इन्दजी ने गुर्जरों को 'गुजर' माना है, जो गुजरात में रहने के कारण गुजर कहलाए ।

- देवली, राधनपुर तथा करडाह अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। डॉ. गौरीशंकर ओझा प्रतिहारों को क्षत्रिय मानते हैं। जॉर्ज केनेडी गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल के बताते हैं।
- मिस्टर जैक्सन ने बम्बई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी माना है।
- प्रतिहार राजवंश महामास मंदिर निर्माण वास्तुशैली का संरक्षक था कनिष्ठम ने गुर्जर प्रतिहारों को कुषाणवंशी कहा है।
- डॉ. भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को खिन्नो की संतान बताकर विदेशी साबित किया है।
- स्मिथ स्टेनफोनो ने गुर्जर प्रतिहारों को हूणवंशी कहा है। भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था।
- भोज द्वितीय प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। मुहणौत नैणसी (मारवाड़ रा परगना री विगत) के अनुसार-गुर्जर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाएं थी इनमें से दो प्रमुख थी - मण्डोर व भीनमाल।
- गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता थी।

भीनमाल शाखा (जालौर) :-

संस्थापक - नागभट्ट प्रथम।

रघुवंशी प्रतिहारों ने चावडों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया और अपनी राजधानी भीनमाल को बनाया। भीनमाल शाखा के प्रतिहारों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। जो प्रतिहार शासक भोज प्रथम के समय उत्कीर्ण हुई।

प्रसिद्ध कवि राजशेखर के ग्रंथों से भी भीनमाल के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है।

अवन्ति/उज्जैन शाखा

नागभट्ट प्रथम के समय दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित।

कन्नौज शाखा :-

नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया ।

कवि वृष की उपाधि मुंज राजा को दी गई थी ।

आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं ।

गुर्जरों तथा अन्य पिछड़ी जातियों (एस बी सी) के लिए राजस्थान सरकार ने 2015 में 5 प्रतिशत कोटे की व्यवस्था की ।

मण्डोर शाखा (जौधपुर) :-

संस्थापक - रज्जेल

गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी मण्डोर थी । गुर्जर प्रतिहारों की इन शाखाओं में सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मण्डोर के प्रतिहार थे । मंडोर के प्रतिहार क्षत्रीय माने जाते हैं ।

हरिश्चंद्र :-

हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है । हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु/गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष/ गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहते हैं ।

हरिश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मण तथा दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी । क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा थी ।

इसकी क्षत्रिय पत्नी के चार पुत्र हुए जिनके नाम भोगभट्ट, कध्दक, रज्जेल और दह थे ।

रज्जेल :-

गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदिपुरुष हरिश्चंद्र थे, तो मण्डोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक रज्जेल थे ।

रज्जिल ने मण्डोर को जीतकर अपने राज्य की राजधानी बनाया

नरभट्ट :-

चीनी यात्री हेनसांग ने नरभट्ट का उल्लेख 'पेल्लोपेल्ली' नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ साहसिक कार्य करने वाला होता है।

नागभट्ट प्रथम (780-750ई)

नागभट्ट प्रथम को 'नागवलोक' तथा इसके दरबार को (नागवलोक) दरबार कहा जाता था।

नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है।

इसकी जानकारी हमें पुलिकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है।

नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चाण्डों से जीता तथा 730 ई. में भीनमाल की राजधानी बनाया। इसने भीनमाल में प्रतिहारवंश की स्थापना की। नागभट्ट प्रथम ने आबू, जालौर आदि को जीतकर उज्जैन (अवन्तिका) को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।

नागभट्ट प्रथम के समय सभी राजपूतवंश गुहिल, चौहान, परमार, राठौर, चंदेल, चालुक्य इसके सामंत के रूप में कार्य करते थे।

गवालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने म्लेच्छ (अरबी) सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक जुनेद था। इसकी पुष्टि अल बिलादुरी के विवरण से होती है।

हांसोट अभिलेखानुसार समकालीन अरब शासक जुनेद के नियंत्रण से भड़ोच छीन कर नागभट्ट प्रथम ने चाहमान भट्टवड्ड को शासक नियुक्त किया।

वत्सराज (780 -795 ई.)

वत्सराज देवराज व भूयिकादेवी का पुत्र था ।

वत्सराज भीनमाल में गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ।

Vatsaraj ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, जो 150 वर्ष तक चला ।

150 वर्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर हुआ ।

यह संघर्ष 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ ।

उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश, पूर्व में बंगाल के पालवंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ । इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार विजयी हुए । परन्तु वत्सराज राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हारा था ।

कन्नौज को कुश स्थल व महोदय नगर के नाम से जाना जाता था । कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर-प्रतिहार शासक वत्सराज के समय हुई ।

सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु (647 ई.) के बाद उत्तरी भारत की राजनीति की धुरी कन्नौज पर अधिकार करने हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ ।

त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम :-

कन्नौज पर (725 ई.- 752 ई.) यशोवर्धन नामक शासक की मृत्यु के बाद तीन महाशक्तियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ जो त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है । ये तीन शक्तियाँ

1. उत्तरी भारत के गुर्जर प्रतिहार
2. पूर्व के पाल (बंगाल के)
3. दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट

त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुधवंश (इन्द्रायुध, चक्रायुध) के शासकों का शासन था ।

त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत आठवीं शताब्दी ईस्वी में हुई । त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहारवंश ने किया और इसका अंत भी प्रतिहारवंश ने ही किया ।

त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रथम चरण गुर्जर-प्रतिहार वत्सराज , बंगाल के पाल शासक धर्मपाल व दक्षिण के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के बीच हुआ ।

वत्सराज ने कन्नौज पर शासित इन्द्रायुध को हराया व उसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर (मुदगगिरी) के युद्ध में पराजित किया । किन्तु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ ।

वत्सराज को रणहस्तिन (युद्ध का हाथी) की उपाधि प्राप्त थी । वत्सराज के समय 778 ई. में उद्योतन सूरी द्वारा 'कुवलय माला ग्रंथ' की तथा जिनसेनसूरी द्वारा 781 ई. में 'हरिवंश पुराण' की रचना की गई ।

वत्सराज शैव मत का अनुयायी था ।

वत्सराज ने ओसियाँ (जौधपुर) में एक सरोवर तथा महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया जो कि पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है ।

राजस्थान में प्रतिहारों का प्रमुख केन्द्र ओसियाँ (जौधपुर) था । वत्सराज के शासनकाल में वलिप्रबंध नामक काव्य ग्रंथ लिखा गया । जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा एवं स्वयंवर प्रथा की जानकारी मिलती है ।

नागभट्ट द्वितीय (795-838 ई.)

नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है ।

अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने वाला प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय था ।

नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता एवं कन्यादान करने के कारण इन्हें 'कर्ण' की उपाधि दी गई । जिसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख में मिलता है ।

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे



हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 5

मारवाड़ का इतिहास

राठौड़ वंश

राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में जिस राजपूत वंश का शासन हुआ उसे राठौड़ वंश कहा गया है। उसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। प्रतिहार यहाँ से कन्नौज (उत्तरप्रदेश) चले गये। फिर राठौड़ वंश की स्थापना इस भाग में हुई तथा मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी 'शिवाना दुर्ग' को कहा जाता था।

शाखा	स्थापना	संस्थापक
1. मारवाड़ (जोधपुर)	1240 ई.	राव सीहा
2. बीकानेर	1465 ई.	राव बीका
3- किशनगढ़	1609 ई.-	किशनसिंह

हम इस अध्याय में मारवाड़ के राठौड़ वंश का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

उत्पत्ति

राठौड़ शब्द की व्युत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से मानी जाती है।

पृथ्वीराजरासो, नैणसी, दयालदास और कर्नल टॉड राठौड़ों को कन्नौज के जयचन्द गहड़वाल का वंशज मानते हैं।

राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चन्द्रमा से बताई है।

डॉ. हार्नली ने सर्वप्रथम राठौड़ों को गहड़वालों से भिन्न माना है। इस मत का समर्थन डा. ओझा ने किया है।

डा. ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूँ के राठौड़ों का वंशज माना है।

मारवाड़ (जोधपुर) के राठौड़ संस्थापक - राव सीहा (1240 - 1273)

मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक, तथा मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक या आदि पुरुष भी कहा जाता है।

राव सीहां कुंवर 'सेतराम' का पुत्र था उसकी रानी सोलंकी वंश की 'पार्वति' थी।

13 वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने कन्नौज को आक्रमण कर बरबाद कर दिया तो राव सीहा मारवाड़ चला आया।

राव सीहा ने सर्वप्रथम पाली (वर्तमान) के निकट अपना साम्राज्य स्थापित किया ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पाली के पालीवाल ब्राह्मणों को मेर व मीणाओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाई उनकी रक्षा की तथा उसके पश्चात् उनके आग्रह पर वहीं आकर बस गया।

पाली के समीप बीठू गाँव के देवल के लेख से सीहा की मृत्यु की तिथि 1273 ई. निश्चित होती है। इस लेख के अनुसार सीहा सेतकुंवर का पुत्र था। उसकी पत्नी पार्वती ने उसकी मृत्यु पर इस देवल का निर्माण करवाया था। इस लेख के अनुसार सीहा की मृत्यु बीठू गांव (पाली) में मुसलमानों से गायों की रक्षा करते हुए युद्ध के दौरान हुई थी। इस लेख पर अश्वारोही सीहा को शत्रु पर भाला मारते हुए दिखाया गया है। इस लेख से प्रमाणित होता है कि इस समय राठौड़ों का राज्य विस्तार पाली के आस - पास ही सीमित था।

राव सीहा के पश्चात् उनका पुत्र आस्थान गद्दी पर बैठा।

आस्थान (1273 - 1291)

सीहा के बाद आस्थान राठौड़ों का शासक बना। उसने गूँदोज को केन्द्र बनाया। 1291 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय पाली की रक्षा करते हुए आस्थान वीरगति को प्राप्त हुआ।

आस्थान के पुत्र धूहड़ ने राठौड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूर्ति कनटिक से लाकर नगाणा गांव (बाइमेर) में स्थापित कराई ।

राठौड़ राजवंश की कुलदेवी चक्रेश्वरी, राठेश्वरी, नागणेची या नागणेचिया के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

इनके छोटे भाई का नाम धांधल था। ये लोकदेवता पाबू जी के पिता थे ।

राव चूड़ा (1383 - 1423)

राव चूड़ा विरमदेव का पुत्र था ।

राव चूड़ा राठौड़ों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक माना जाता हैं । अपने पिता की मृत्यु के समय चूड़ा छः वर्ष का था । इसलिए उसकी माता ने उसे चाचा मल्लिनाथ के पास भेज दिया। मल्लिनाथ ने चूड़ा को सालोड़ी गाँव जागीर में दिया था ।

उसने इन्दा शाखा के राजा की पुत्री किशोर कुंवरी (मण्डोर जाँधपुर) से विवाह किया तथा देहेज में उसे मण्डौर दुर्ग मिला ।

चूड़ा ने इन्दा परिहारों के साथ मिलकर मण्डौर को मालवा के सूबेदार से छीन लिया तथा मण्डौर को अपनी राजधानी बनाया।

इस प्रकार इन्दा परिहारों को अपना सहयोगी बनाकर राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामन्त प्रथा की स्थापना की।

उसने जलाल खां खोखर को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया था ।

परन्तु जैसलमेर के भाटियों और जांगलप्रदेश के सांखलाओं के नागौर पर आक्रमण के समय 1423 ई. में चूड़ा मारा गया ।

राव चूड़ा ने नागौर के पास चूण्डासर कस्बा बसाया ।

उसकी रानी चाँद कँवर ने जाँधपुर की चाँदबावड़ी का निर्माण करवाया था ।

रावल मल्लीनाथ

राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता इन्होंने अपनी राजधानी 'मेवानगर' (नाकोड़ा) बनायी। मल्लीनाथ के नाम पर ही मारवाड़ क्षेत्र को मालाणी कहते हैं।

भाई 'वीरम' (मल्लीनाथ ने अपने बेटे जगमाल को राजा न बनाकर वीरम को राजा बना दिया।

कान्हा (1423-1427)

चूड़ा ने अपनी मोहिलाणी रानी के प्रभाव में आकर उसके पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया जबकि रणमल, चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र था।

रणमल मेवाड़ के राणा लाखा की शरण में चला गया तथा अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा से कर दिया। राणा ने उसे धणला गाँव जागीर में दिया।

1427 ई. में रणमल ने राणा मोकल की सहायता से मण्डौर पर अधिकार कर लिया। इस समय कान्हा का उत्तराधिकारी सत्ता मण्डौर का शासक था।

ऐसा कहा जाता है कि राव कान्हा की मृत्यु 'करणी माता के हाथों हुई थी।

राव रणमल, - (1427 - 1438)

राव रणमल, राव चूड़ा का ज्येष्ठ पुत्र था जो उन्हें रानी चाँद कवर से हुआ था।

परंतु जब उसे राजा नहीं बनाया गया तो वह नाराज होकर मेवाड़ के राणा लक्ष सिंह (लाखा) की शरण में चला गया।

राणा लाखा ने रणमल को 'धणला' की जागीर प्रदान की।

रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। परंतु उसने एक शर्त रखी जिसके अनुसार हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का शासक बने।

रणमल ने अपने समय में मारवाड़ और मेवाड़ रियासतों पर मजबूत नियंत्रण बना रखा था।

रणमल ने अपने भाई तथा मारवाड़ के राजा 'कान्हा के साथ युद्ध किया तथा इस युद्ध में रणमल का साथ मेवाड़ के मोकल (भोजा) ने दिया। इस युद्ध में कान्हा मारा गया।

मेवाड़ी सरदारों ने 1438 ई. में उसकी प्रेयसी भारमली की सहायता से चित्तौड़ में रणमल की हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि उसे उसकी प्रेयसी भारमली ने शराब में विष दिया था। इस तरह रणमल का अंत हुआ।

राव जोधा (1438 - 1489)

1. राव 'रणमल' को रानी 'कोडमद' से जो पुत्र हुआ वहीं राव जोधा था।
2. पिता रणमल की हत्या के बाद जोधा ने चित्तौड़ से भागकर बीकानेर के समीप काहुनी गाँव में शरण ली।
3. चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने राठौड़ों की राजधानी मण्डौर पर अधिकार कर लिया। 15 वर्ष बाद राव जोधा मण्डौर पर पुनः अधिकार कर पाया।
4. राव जोधा ने सन् 1453 में मण्डौर राज्य को अपने अधीन किया।
5. राव जोधा ने 13 मई 1459 ई. में जोधपुर नगर बसाया।
6. राव जोधा ने 1459 ई. में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया।
7. दुर्ग के निर्माण के पश्चात् राव जोधा ने अपनी राजधानी मण्डौर से जोधपुर को स्थानांतरित की।
8. राव जोधा ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया।
9. इसी समय इनकी एक रानी हडी जसमा देवी ने किले के पास 'रानीसर' तालाब बनवाया।
10. राव जोधा ने अपनी हाड़ी रानी जसमा देवी के मोह में पड़कर उसके पुत्र सातलदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जबकि हकदार राव बीका था यहीं से उत्तराधिकार को लेकर कलह का बीज पड़ गया।
11. राजा राव जोधा की मृत्यु 1489 ई. में हुई।

मेहरानगढ़ दुर्ग

1. ज्ञात स्रोतों से यह विदित होता है कि मेहरानगढ़ की नींव का पहला पत्थर करणी माता (रिद्धि बाई) ने रखा था।
2. इसकी नींव में राजा राम खड़ेला नामक व्यक्ति को जिदा चुनवाया गया था।
3. किपलिंग - 'इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया था'।
4. इसमें चामुण्डा माता का मंदिर, मानप्रकाश पुस्तकालय, फूलमहल, कीरत व धन्ना की छतरी इत्यादि के दर्शन होते हैं तथा किलकिला, शंभुबान व गजनी खाँ, जो कि तोपों के नाम हैं, भी यहां देखने को मिलती हैं।

आँवल-बावल की सन्धि (1453 ई.)

1. आँवल-बावल की सन्धि राणा कुम्भा और राव जोधा के मध्य हुई। जोधा ने अपनी पुत्री शृंगारदेवी का विवाह कुम्भा के पुत्र रायमल से कर दिया।
2. राव जोधा द्वारा अपने पुत्रों और प्रमुख सरदारों में राज्य बाँटने के कारण राव जोधा को मारवाड़ रियासत में सामन्त प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
3. राव जोधा के पांचवे पुत्र राव बिकाजी ने 'बीकानेर की स्थापना किया तथा उसके पीछे इसी सामन्त प्रथा को एक कारण माना जाता है, जो राव जोधा ने स्थापित की।

राव सातल (1489 -1492)

1. जोधा के पुत्र राव सातल ने सातलमेर कस्बा बसाया था। उसकी भटियाणी रानी फूलां में जौधपुर में कुलेलाव तालाब बनवाया।
2. अजमेर के हाकिम मल्लू खाँ के साथ पीपाड़ (जौधपुर) के युद्ध में घायल हो

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 7

मुगल सम्राटों और उनकी राजपूत नीति

इस लेख में हम विभिन्न मुगल सम्राटों और उनकी राजपूत नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे।

बाबर:-

बाबर की राजपूतों के प्रति कोई सुनियोजित नीति नहीं थी। उसे मेवाड़ के राणा साँगा और चंदेरी के मेदिनी राय के खिलाफ लड़ना पड़ा क्योंकि भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था। दोनों अवसरों पर, उन्होंने अपनी सफलता के बाद जिहाद की घोषणा की और राजपूतों के सिर की मीनारों को उठाया। लेकिन उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी के साथ हुमायूँ से शादी की और राजपूतों को सेना में नियुक्त किया। इस प्रकार, उन्होंने न तो राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की और न ही उन्हें अपना स्थायी दुश्मन माना।

हुमायूँ:-

हुमायूँ ने राजपूतों के बारे में अपने पिता की नीति को जारी रखा। हालाँकि, उसने मेवाड़ के राजपूतों से दोस्ती करने का एक अच्छा अवसर खो दिया। उन्होंने मेवाड़ को गुजरात के बहादूर शाह के खिलाफ भी मदद नहीं की, जब मेवाड़ की रानी कण्विती ने उनकी बहन बनने की पेशकश की थी। वह शेरशाह के खिलाफ मारवाड़ के मालदेव का समर्थन पाने में भी असफल रहा।

शेर शाह:-

शेरशाह अपनी राजसत्ता के अधीन राजपूत शासकों को लाना चाहता था। 1544 ई. में उसने मारवाड़ पर हमला किया और उसके बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफल रहा। रणथंभौर पर भी उसका कब्जा हो गया, जबकि मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने बिना लड़े उसकी आत्महत्या स्वीकार कर ली।

उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कालिंजर पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार, वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। उनकी सफलता का एक प्राथमिक कारण यह था कि उन्होंने राजपूत शासकों के राज्य को गिराने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने उसकी आत्महत्या स्वीकार की, वे अपने राज्यों के स्वामी रह गए।

अकबर:-

अकबर पहला मुगुल सम्राट था जिसने राजपूतों के प्रति एक सुनियोजित नीति अपनाई। उनकी राजपूत नीति के निर्माण में विभिन्न कारकों ने भाग लिया। अकबर एक साम्राज्यवादी था। वह अपने शासन को यथासंभव भारत के क्षेत्र में लाना चाहता था।

- इसलिए, राजपूत शासकों को उसकी अधीनता में लाना आवश्यक था। अकबर राजपूतों की शिष्टता, आस्था, मर्यादा, युद्ध कौशल आदि से प्रभावित था। उसने उन्हें अपने दुश्मन के रूप में बदलने के बजाय उनसे दोस्ती करना पसंद किया।
- वह विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय लोगों के बीच से भरोसेमंद सहयोगी चाहते थे। अफगानों और उनके रिश्तेदारों के विद्रोह, मिर्जों ने अपने शासन के शुरुआती दौर में, उन्हें इस आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। इसलिए, राजपूत उनकी अच्छी पसंद बन गए। अकबर की उदार धार्मिक नीति ने भी उनसे मित्रता करने का निर्देश दिया।
- अकबर ने राजपूतों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी अधीनता में लाने की इच्छा भी की।
- हम राजपूत शासकों के बारे में निम्नलिखित तीन सिद्धांत पाते हैं:-

(क) उसने राजपूतों के मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया जैसे कि चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर आदि के किले। इसने राजपूतों की शक्ति को कमजोर कर दिया ताकि वे प्रतिरोध की पेशकश कर सकें।

(ख) उन राजपूत शासकों ने या तो अपनी संप्रभुता स्वीकार कर ली या उनके साथ वैवाहिक संबंधों में प्रवेश किया जो स्वेच्छा से अपने राज्यों के स्वामी थे। उन्हें राज्य में उच्च पद दिए गए थे और उनके प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं था। हालाँकि, उन्हें सम्राट को वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया था।

(c) जिन राजपूत शासकों ने उनका विरोध किया, उन पर हमला किया गया और उनकी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के प्रयास किए गए। मेवाड़ का मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण था।

- 1562 ई. में मेड़ता के किले पर कब्जा कर लिया गया था, जो जयमल के अधीन था, जो मेवाड़ के शासक के सामंती प्रमुख थे। 1568 ई. में चित्तौड़ को मेवाड़ से छीन लिया गया और 1569 ई. में राजा सुरजन राय को रणथंभौर के किले को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी वर्ष, राजा राम चंद्र ने स्वेच्छा से कालिंजर के किले को अकबर को सौंप दिया।
- उन शासकों में जिन्होंने अकबर की संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार किया था, आमेर (जयपुर) के राजा भारमल थे। वह 1562 ई. में अकबर से मिला, उसने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। इसी राजकुमारी ने सलीम को जन्म दिया। अकबर ने राजा भारमल, उनके बेटे, भगवान दास और उनके पोते मान सिंह को उच्च मानस पुरस्कार दिया।
- चित्तौड़ के किले के पतन के बाद बीकानेर और जैसलमेर जैसे कुछ राजपूत राज्यों ने स्वेच्छा से अकबर की आत्महत्या स्वीकार कर ली, जबकि उनमें से कुछ ने उसके साथ वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश किया। हल्दीघाटी की लड़ाई के बाद कुछ और राजपूत शासकों जैसे बाँसवाड़ा, बूंदी और ओरछा ने भी अकबर की आत्महत्या स्वीकार कर ली। इस प्रकार, अधिकांश राजपूत शासकों ने बिना किसी लड़ाई के अकबर को सौंप दिया, उनकी सेवा में प्रवेश किया, उनके वफादार सहयोगी बने और उनमें से कुछ उनके रिश्तेदार भी बने।

एकमात्र राज्य जिसने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था वह मेवाड़ था। मेवाड़ का शासक परिवार, सिसोदिया राजस्थान के राजपूत शासकों में सबसे सम्मानित परिवार था। मेवाड़ के तत्कालीन शासक उदय सिंह थे। मेवाड़ को राजनैतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से जीतना आवश्यक था। राणा उदय सिंह ने मालवा के भगोड़े शासक, बाज बहादूर और विद्रोही- मिर्जा को आश्रय

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है



कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण सभव मदद करेंगे ,
धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 10

राजस्थान में 1857 की क्रांति में हुए प्रमुख विद्रोह

कर्नल जेम्स टॉड पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखा इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है

इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास लेखन की गलतियों को दूर किया इसीलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक पिता कहा जाता है।

घोड़े वाले बाबा उपनाम से इतिहास में प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टॉड के गुरु ज्ञानचंद थे कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो के लगभग 30000 हजार दोहो, का अंग्रेजी में अनुवाद किया था

ब्रिटिश सरकार ने कर्नल जेम्स टॉड को 1818 से 1822 के मध्य पश्चिमी राजपूत राज्यों का पोलिटिकल एजेंट नियुक्त किया जिसमें 6 रियासतें शामिल थी :-

1-कोटा 2-बूंदी 3-जोधपुर 4-उदयपुर 5-सिरोही 6-जैसलमेर

1857 के विद्रोह के संदर्भ में विभिन्न मत (Different views in reference to the revolt of 1857)

- डॉ रामविलास शर्मा- यह स्वतंत्रता संग्राम था।
- डॉ रामविलास शर्मा- यह जनक्रांति थी।
- डिजरायली बेंजामिन डिजरेली- यह राष्ट्रीय विद्रोह था।
- वी डी सावरकर- यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। (पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस)
- एस.एन. सेन- यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था।
- सर जॉन लॉरेंस, के. मैलेसन, ट्रैविलियन, सीले- 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था (इस विचार से भारतीय समकालीन लेखक मुंशी जीवनलाल दुर्गादास बंदोपाध्याय सैयद अहमद खां भी सहमत हैं)।
- जवाहरलाल नेहरू- यह विद्रोह मुख्यतः सामंतशाही विद्रोह था।
- सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर- यह विद्रोह हिंदू-मुस्लिम का परिणाम था।

- क्रान्ति के प्रमुख कारण (Reason of 1857 Revolution) 1
- देशी रियासतों के राजा मराठा व पिण्डारियों से छुटकारा पाना चाहते थे।
- लार्ड डलहौजी की राज्य विलयकीनितिया।
- चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग (एनफील्ड)
- 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी (पश्चिम बंगाल) की 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के साथ हुआ किंतु संगठित क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ (उत्तर प्रदेश) छावनी से प्रारंभ हुई थी।
- 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस माने जाते हैं ,जिनका प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया जाता था 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था जिसका मुख्यालय आगरा में था इस प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन था।
- अजमेर- मेरवाड़ा का प्रशासन कर्नल डिव्सन के हाथों में था क्रांति के समय राजपूताना का ए.जी.जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था जिस का मुख्यालय माउंट आबू में स्थित था अजमेर राजपूताना की प्रशासनिक राजधानी था और अजमेर में ही अंग्रेजों का खजाना और शस्त्रागार स्थित था।
- अजमेर की रक्षा की जिम्मेदारी 15नेटिव इन्फैंट्री बटालियन के स्थान पर ब्यावर से बुलाई गई, लेफ्टिनेंट कारनेल के नेतृत्व वाली रेजिमेंट को दे दी गई. मेरठ विद्रोह की खबर 19 मई 1857 को माउंट आबू पहुंची इस क्रांति का प्रतीक चिह्न रोटी और कमल का फूल था।

राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट (Rajasthan Political agent in evolution)

1. कोटा रियासत में-मेजर बर्टन
2. जोधपुर रियासत में-मेक मॅसन
3. भरतपुर रियासत में- मोरिशन
4. जयपुर रियासत में-ई.डन
5. उदयपुर रियासत में-शावर्स और
6. सिरोही रियासत में-जे.डी.हॉल थे

राजस्थान में क्रांति के समय राजपूत शासक (Rajasthan Rajput ruler in revolution)-

- कोटा रियासत में-राम सिंह
- जौधपुर रियासत में-तख्तसिंह
- भरतपुर रियासत में-जसवंत सिंह
- उदयपुर रियासत में-स्वरूप सिंह
- जयपुर रियासत में-रामसिंह द्वितीय
- सिरोही रियासत में-शिव सिंह
- धौलपुर रियासत में-भगवंत सिंह
- बीकानेर रियासत में-सरदार सिंह
- करौली रियासत में- मदनपाल
- टोंक रियासत में-नवाब वजीरुद्दौला
- बूंदी रियासत में-राम सिंह
- अलवर रियासत में-विनय सिंह
- जैसलमेर रियासत में- रणजीत सिंह
- झालावाड़ रियासत में-पृथ्वी सिंह
- प्रतापगढ़ रियासत में-दलपत सिंह
- बाँसवाड़ा रियासत में- लक्ष्मण सिंह और
- डूंगरपुर रियासत में-उदयसिंह थे

राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी जिनमें से खेरवाड़ा (उदयपुर) और ब्यावर (अजमेर) सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था ।

सैनिक छावनियां (Military Encampment)

1. नसीराबाद (अजमेर)
2. नीमच (मध्य प्रदेश)
3. एरिनपुरा (पाली)
4. देवली (टोंक)

5. ब्यावर (अजमेर)

6. खैरवाड़ा (उदयपुर)

NOTE - खैरवाड़ा व ब्यावर सैनिक छावनीयों ने इस सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया।

राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरम्भ

- 1857 Revolution के समय भारत का गवर्नर जनरल " लार्ड केनिंग " था।
- जब AGG जॉर्ज पेद्रिक लॉरेंस को मेरठ में सैनिक क्रांति की सूचना मिली तब वह माउन्ट आबू में था।
- AGG को मेरठ में क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को मिली।
- जॉर्ज पेद्रिक लॉरेंस ने अजमेर के मँगजीन दुर्ग में तैनात 15 वीं नेटिव इन्फेन्ट्री (NI) को नसीराबाद भेज दिया।

मँगजीन दुर्ग में अंग्रेजों का शस्त्रागार तथा सरकारी खजाना रखा हुआ



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063 , 8504091672

अध्याय - 12

राजस्थान में प्रजामंडल

क्र. सं.	प्रजामंडल नाम	स्थापना वर्ष	गठनकर्ता	अध्यक्षता	प्रमुख नेता/ कार्य/सहयोगी	उद्देश्य
1.	जयपुर प्रजामंडल	1931	जमनालाल बजाज	कपूर चन्द्र पाटनी	हीरालाल जमनालाल बजाज	शास्त्री,
		1936			हीरालाल शास्त्री, बाब हरिश्चन्द्र, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी, हंस डी. राय. पूणनिन्द जोशी	
2.	बूँदी प्रजामण्डल	1931	कांतिलाल	कांतिलाल	नित्यानन्द सागर, गोपाललाल कोटिया, गोपाललाल जोशी, मोतीलाल अग्रवाल, पूनम चन्द्र	
	बूँदी राज्य प्रजा परिषद्	1937	ऋषिदत्त मेहता	चिरंजीलाल मिश्र	बृज सुन्दर शर्मा	
3.	हाड़ौती प्रजामण्डल	1934	पं. नयनूराम शर्मा	हरिमोहन माथुर	प्रभुलाल शर्मा, पं. अभिन्न हरि	

4.

मारवाड़ (जोधपुर) प्रजामण्डल	1934	जयनारायण व्यास	मोहम्मद	आनन्दराज मथुरादास रणछोड़दास इन्द्रमल कन्हैयालाल चांदकरण छगनलाल चौपसनीवाल, अभयमल मेहता	सुराणा, माथुर, गढ़ानी, जैन, मणिहार, शारदा, चौपसनीवाल, अभयमल मेहता
------------------------------------	------	-------------------	---------	---	--
5.

सिरोही प्रजामण्डल (बम्बई)	1934	वृद्धिकर त्रिवेदी	भंवरलाल सरांफ	रामेश्वर समर्थमल, भीमशंकर	दयाल, समर्थमल, भीमशंकर
---------------------------------	------	----------------------	------------------	------------------------------	---------------------------
- | | | | | | |
|----------------------|------|------------|---------------|---|--|
| सिरोही
प्रजामण्डल | 1939 | गोकुल भाई. | गोकुल
भाई. | धर्मचन्द्र
रामेश्वरदयाल, स्पराज,
जीवनमल, घासीलाल
चौधरी, पूनमचन्द्र | सुराणा,
स्पराज,
घासीलाल
चौधरी, पूनमचन्द्र |
|----------------------|------|------------|---------------|---|--|
6.

बीकानेर राज्य प्रजामण्डल (कलकत्ता)	1936	मछाराम वैद्य	मछाराम वैद्य	लक्ष्मणदास अन्य प्रवासी	स्वामी एवं राजस्थानी
--	------	--------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------
- | | | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| बीकानेर
प्रजामण्डल | 1936 | मछाराम वैद्य | मछाराम
वैद्य | लक्ष्मणदास
रघुवरदयाल
बाबू मुक्ता प्रसाद,
गंगाराम कौशिक | स्वामी,
गोयल,
प्रसाद,
कौशिक |
|-----------------------|------|--------------|-----------------|---|--------------------------------------|

बीकानेर राज्य परिषद्	1942	रघुवरदयाल गोयल	रघुवरदयाल गोयल	लक्ष्मणदास रघुवरदयाल गोयल, बाबू प्रसाद, कौशिक	स्वामी, मुक्ता गंगाराम
-------------------------	------	-------------------	-------------------	---	------------------------------

7. कोटा प्रजामण्डल 1939 पं. नयनूराम शर्मा पं. नयनूराम शर्मा पं. अभिन्न हरि, तनसुखलाल मित्रल, शंभूदयाल सक्सेना, बेनी माधव प्रसाद

8. मारवाड़ लोक 1938 जयनारायण व्यास रणछोड़दास आनन्दराज सुराणा और भंवरलाल

9. मेवाड़ प्रजामण्डल 1938 माणिक्यलाल वर्मा बलवंत सिंह माणिक्य लाल वर्मा, भूरेलाल बयां, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य, परसराम, दयाशंकर श्रोत्रिय

10. अलवर प्रजामण्डल 1938 पं. हरि नारायण शर्मा पं. हरि नारायण शर्मा कुंजबिहारी मोदी, लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रसिंह आजाद, नत्थू राम मोदी, मंगलसिंह

11. भरतपुर प्रजामण्डल 1938 किशनलाल जोशी गोपीलाल यादव रेवती शरण शर्मा, मा. आदित्येन्द्र, ठा. देशराज, मोतीलाल यादव, लच्छीराम,

मुहम्मद अली, कुज
बिहारी मोदी, रमेश
स्वामी, जुगल किशोर
चतुर्वेदी

12. शाहपुरा 1938 रमेशचन्द्र रमेशचन्द्र लादूराम व्यास,
प्रजामण्डल ओझा ओझा अभयसिंह,
गोकुललाल असावा,
लक्ष्मीकांत कोटिया,
अभयसिंह डांगी

13. धौलपुर 1938 ज्वाला प्रसाद कृष्ण दत्त जौहरी लाल इन्दु,
प्रजामण्डल जिज्ञासु पालीवाल मूलचन्द,
केशदेव, केदारनाथ

14. करौली 1938 त्रिलोकचन्द्र त्रिलोकचन्द्र चिरंजीलाल शर्मा,
प्रजामण्डल माथुर माथुर कुंवर मदन सिंह

15. किशनगढ़ 1939 कांतिलाल कांतिलाल जमालशाह
चौथानी चौथानी

16. जैसलमेर राज्य 1939 शिव शंकर शिव शंकर मदनलाल पुरोहित,
प्रज्ञा परिषद् गोपा गोपा ललिषद जोशी,
(जौधपुर) जीवनलाल कोठारी,
जीतूमल तथा
मोहनलाल

जैसलमेर राज्य 1945 मीठालाल मीठालाल मीठालाल व्यास एवं
प्रजामण्डल व्यास व्यास अन्य साथी

17. कुशलगढ़ 1942 भंवरलाल कन्हैयालाल पन्नालाल त्रिदेवी एवं
प्रजामण्डल निगम सेठिया अन्य साथी
18. डूंगरपुर 1944 भोगीलाल भोगीलाल शिवलाल कोटड़िया,
प्रजामण्डल पण्ड्या पण्ड्या हरिदेव जोशी,
गौरीशंकर उपाध्याय

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /



संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

कला एवं संस्कृति

अध्याय - 1

राजस्थान की बोलियाँ एवं साहित्य

राजस्थानी भाषा-

- वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7 वाँ स्थान तथा विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 16वाँ स्थान है।
- उद्योतन सुरी ने 8वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ कुवलयमाला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया था।

उद्भव-

- राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अर्थात् राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है।
- डॉ. एल.पी. टेस्सीटोरी राजस्थानी भाषा का उद्भव (उत्पत्ति) शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं।
- डॉ. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं डॉ. पुरुषोत्तम मोनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव (उत्पत्ति) नागर अपभ्रंश से मानते हैं।
- के.एम. मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा का उद्भव (उत्पत्ति) गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं।
- अधिकांश विद्वान राजस्थानी भाषा का उद्भव (उत्पत्ति) गुर्जर अपभ्रंश से मानते हैं।

उत्पत्ति काल-

- राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल 12 वीं सदी का अन्तीम चरण माना जाता है।

स्वतंत्र अस्तीत्व-

- 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा अपने स्वतंत्र अस्तीत्व में आने लगी थी अर्थात् 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था।
- राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का मिला जुला रूप 16 वीं सदी के अंत तक चलता रहा है।

जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन-

- राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया में किया था।
- राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोलियों का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था।

राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण-

1. सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण-

- सरजॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक या ग्रंथ लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया के 9वें खण्ड में सन् 1912 में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं।
- सरजॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 बोलियों में वर्गीकृत किया है जैसे-

1. पश्चिमी राजस्थानी बोली (मारवाड़ी)-
2. उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी बोली-
3. मध्यपूर्वी राजस्थानी बोली
4. दक्षिण-पूर्वी राजस्थानी बोली
5. दक्षिणी राजस्थानी बोली

1. पश्चिमी राजस्थानी बोली (मारवाड़ी)-

- मारवाड़ी बोली बोलने वालों की संख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है।
- पश्चिमी राजस्थानी बोली में पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी बोली शामिल हैं।

2. उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी बोली-

उत्तरी पूर्वी राजस्थानी बोली में मेवातीव अहीरवाटी बोली शामिल है।
अहीरवाटी-

- अहीरवाटी बोली राजस्थान में अलवर जिले के बहरोड़, मुण्डावर, किशनगढ़ के पश्चिमी भाग व कोटपूतली के उत्तरी भाग में बोली जाती है।
- अहीरवाटी बोली बांगरु (हरियाणवी) तथा मेवाती बोली के बीच संधि स्थल की बोली है।
- अहीरवाटी बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है इसीलिए इसे राठी बोली भी कहते हैं।
- जोधराज का हम्मीर रासो महाकाव्य अहीरवाटी बोली में ही लिखा गया है।

3. मध्यपूर्वी राजस्थानी बोली-

- मध्यपूर्वी राजस्थानी बोली में ढूंढाड़ी व हाड़ोती बोली शामिल हैं।

4. दक्षिणी-पूर्वी राजस्थानी बोली-

- दक्षिणी-पूर्वी राजस्थानी बोली में मालवी व रांगड़ी बोली शामिल हैं।

मालवी-

- मालवी बोली राजस्थान के झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के मालवा से जुड़े भू-भाग में बोली जाती है।
- मालवी बोली, मारवाड़ी बोली तथा ढूंढाड़ी बोली का मिश्रित प्रभाव है।

मालवी की उपबोलियां-

1. निमाड़ी
2. रांगड़ी

निमाड़ी-

- निमाड़ी बोली राजस्थान के दक्षिणी भाग में बोली जाती है।

रांगड़ी-

- रांगड़ी बोली राजपूतों में प्रचलित बोली है।
- रांगड़ी कर्कश बोली है।

- रांगड़ी बोली मारवाड़ी बोली व मालवी बोली के मिश्रण से उत्पन्न मालवा के राजपूतों की बोली है।
- रांगड़ी बोली राजस्थान में मालव क्षेत्र (झालावाड़ व प्रतापगढ़) में बोली जाती है।
- रांगड़ी बोली मालव क्षेत्र में राजपूतों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है।

5. दक्षिणी राजस्थानी बोली-

- दक्षिणी राजस्थानी बोली में नीमाड़ी व भीली बोली शामिल हैं।

2. डॉ. एलपी टेस्सीटोरी का वर्गीकरण-

- एल. पी. टेस्सीटोरी इटली के निवासी हैं।
- एल.पी. टेस्सीटोरी की कार्य स्थली बीकानेर रही है।
- एल.पी. टेस्सीटोरी की मृत्यु सन् 1919 में राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई थी।
- एल.पी. टेस्सीटोरी की कब्र बीकानेर में ही है।
- बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने डॉ. एल पी टेस्सीटोरी को चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं सर्वे का कार्य सौंपा था।
- डॉ. एल पी टेस्सीटोरी ने निम्न ग्रंथ लिखे हैं।
 1. राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे
 2. पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण

डॉ. एल पी टेस्सीटोरी ने मालवा व राजस्थान की भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया है जैसे-

1. पश्चिमी राजस्थानी बोली या मारवाड़ी बोली
2. पूर्वी राजस्थानी बोली या दून्दाड़ी बोली

1. पश्चिमी राजस्थानी भाषा-

- पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिगल है।
- पश्चिमी राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है।
- पश्चिमी राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का रहा है।

2. पूर्वी राजस्थानी भाषा-

- पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप पिगल है।
- पूर्वी राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
- पूर्वी राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रज भाषा का रहा है।

पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां-

मारवाड़ी बोली-

- मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम मरुभाषा है।
- मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिगल कहते हैं।
- मारवाड़ी बोली का उद्भव (उत्पत्ति) गुर्जर अपभ्रंश से हुआ है।
- मारवाड़ी बोली का उत्पत्ति काल 8 वीं सदी है।
- मारवाड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का रहा है।
- मारवाड़ी बोली राजस्थान की प्राचीनतम बोली मानी जाती है।
- मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान की प्रधान या प्रमुख बोली है।
- मारवाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है।
- जैन साहित्य एवं मीरा की अधिकांश रचना यें मारवाड़ी में है।
- राजियारा सोरठा, वेलि क्रिसन् रुकमणी री, ढोला-मखण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में ही रचित हैं।
- विशुद्ध मारवाड़ी (पुरी शुद्ध मारवाड़ी) बोली राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, शेखावाटी, जोधपुर , व जोधपुर के आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाती है।
- मारवाड़ी की उपबोलियां-

1. गोंड़वाड़ी
2. देवड़ावाटी
3. थली
4. शेखावटी

गोंडवाड़ी-

- गोंडवाड़ी बोली राजस्थान में पाली एवं जालौर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है।

देवड़ावाटी-

- देवड़ावाटी बोली राजस्थान में सिरोंही जिले में बोली जाती है।

थली-

- थली बोली राजस्थान में बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में बोली जाती है।

शेखावाटी-

- शेखावाटी बोली राजस्थान में झुंझुनू, सीकर तथा चूरु जिलों में बोली जाती है।

मेवाड़ी-

- मेवाड़ी बोली राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद उदयपुर एवं उदयपुर के आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाती है।
- मेवाड़ी, मारवाड़ी के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बोली है।
- महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में मेवाड़ी बोली का ही प्रयोग है।
- मेवाड़ी भाषा के विकसित रूप 12-13वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं।

बागड़ी-

- बागड़ी बोली राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा व दक्षिणी-पश्चिमी उदयपुर के पहाड़ी भाग में बोली जाती है।
- गुजरात के समीप होने के कारण बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव अधिक है।
- भील बोली बागड़ी की ही सहायक बोली है।

बीकानेरी-

- बीकानेरी बोली राजस्थान के बीकानेर जिले में बोली जाती है।

पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां- ढूंढाड़ी-

- ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थान की बोली है।
- ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़ (अजमेर), टोंक तथा लावा (टोंक) तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाती है।

ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद्य दोनों में

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063 , 8504091672

अध्याय - 2

प्रमुख लोक संगीत

राजस्थान के मध्य युग में वीर रसात्मक सिंधु राग का गायन लोकप्रिय था।

राजस्थान में श्रृंगार रस राग माँड आज भी प्रचलित है जैसे मारवाड़ मेवाड़, जयपुर और जैसलमेर की माँड आदि।

देशी व विदेशी आक्रमणों के समय जयपुर, जौधपुर, बीकानेर, मेवाड़, टोंक, अलवर, भरतपुर आदि रियासतों के द्वारा संगीत को आश्रय प्रदान किया गया।

राजस्थान के संगीत प्रिय शासकों में अलवर के महाराजा शिवदान सिंह, टोंक के नवाब इब्राहिम खां आदि प्रमुख थे।

अकबर के शासनकाल में विकसित हुई अष्टछाप संगीत परम्परा के कारण राजस्थान में शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद धमार, पखावज तथा वीणावादन के शैलियों का विकास हुआ जो हवेली संगीत के रूप में विद्यमान है।

वर्तमान राजस्थान के नाथद्वारा जयपुर कोटा कांकरोली भरतपुर जौधपुर के मंदिरों में हवेली संगीत विद्यमान है।

राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने

विक्रम संवत् की पांचवी शताब्दी में ई.रान के बादशाह बहराम गोर ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया, और यहां से बाहर हजार गायकों को नौकरी के लिए ले गया। गायकों की यह लूट राजस्थान और गुजरात से ही सम्भव है, जहाँ से इतने संगीतज्ञ ले जाये जा सकते थे। पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा (हिस्ट्री ऑफ पर्सिया)

घराना - भारत में भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा को कुछ विशेष परिवारों द्वारा संरक्षित किया जाता रहा है। वर्तमान में यह परम्पराएं अपनी विशेषताओं के कारण घरानों के रूप में जानी जाती हैं।

घराना	प्रवर्तक	विशेषताएँ
जयपुर घराना	मनरंग (भूपत खां)	ख्याल गायन शैली का घराना है। मुहम्मद अली खां कोठी वाले इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए हैं।
पटियाला घराना	फ़तेह अली व अली बख्श	यह जयपुर घराने की उपशाखा है।
बीनकार घराना(जयपुर)	रज्जब अली बीनकार	रज्जब अली जयपुर के महाराजा रामसिंह के दरबार में प्रसिद्ध बीनकार थे।
मेवाती घराना	उस्ताद घग्घे, नजीर खां	इन्होंने जयपुर की ख्याल गायकी को ही अपनी विशिष्ट शैली में विकसित कर यह घराना प्रारम्भ किया।
डागर घराना	बहराम खां डागर	महाराजा रामसिंह के दरबारी गायक

सेनिया घराना(जयपुर)	तानसेन के पुत्र सूरत सेन	यह सितारियों का घराना है। इस घराने के गायक ध्रुपद की गौहर वाणी व खण्डारवाणी में सिद्धहस्त थे।
रंगीला घराना	रमजान खां 'मियाँ रंगीले	मियाँ रंगीले जोधपुर के गायक इमाम बख्श के शिष्य थे।
जयपुर का कथक घराना	भानूजी	उत्तर भारत के प्रसिद्ध शासीय नृत्य कथक का उद्भव राजस्थान में 13वीं सदी में हुआ माना जाता है।

राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ

संगीत राज

- इसकी रचना मेवाड़ के महाराणा कुम्भा द्वारा 15 वीं सदी में की गई।
- ये पाँच कोषो पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस रत्नकोष आदि में विभक्त हैं। इसे 'उल्लास कहा गया है।
- उल्लास को पुनः परीक्षण में बांटा गया है।
- इसमें ताल, राग, वाद्य, नृत्य, रस, स्वर आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

राग मंजरी

- इसकी रचना पुण्डरीक विठ्ठल ने की थी।
- ये जयपुर महाराजा मानसिंह के दरबारी थे।

राग माला

- इस ग्रंथ की रचना भी पुण्डरीक विठ्ठल ने की थी।
- इसमें राग रागिनी व शुद्ध स्वर-सप्तक का उल्लेख किया गया है।

शृंगार हार

- रणथम्भौर के शासक हम्मीर देव ने इस ग्रंथ की रचना की थी।
- पण्डित भावभट्ट के संगीत ग्रंथ
- ये बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह के दरबारी थे।
- इनके द्वारा रचित ग्रंथों में 'अनूप संगीत रत्नाकर', अनूप विलास, अनूप राग सागर, अनूप राग माता, 'भाव मंजरी आदि प्रमुख हैं।

राधागोविन्द संगीत सागर

- इसकी रचना जयपुर के महाराजा सवाईप्रतापसिंह ने करवाई।
- इस ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध स्वर सप्तक कहा गया है।

राग-रत्नाकर

- जयपुर के उणीयारा ठिकाने के राव भीमसिंह के दरबार में रहकर राधा कृष्ण ने इस ग्रंथ की रचना की।

राग कल्पद्रुम

- श्री कृष्णानन्द व्यास (मेवाड़ ने इस ग्रंथ की रचना की थी।
- यह ग्रंथ संगीत के साथ-साथ हिन्दी साहित्य के इतिहास के निर्माण के लिये भी उपयोगी माना जाता है।

रागमाला ग्रंथ

- राजस्थान में रचित ये संगीत विशेष ग्रंथ है जिनमें रागों के गायन-वादन से निर्मित भावों को कवियों द्वारा शब्दों व चित्रकारों द्वारा चित्रों के रूप में वर्णित किया गया है।
- रागमालाओं में पद्यबद्ध व सचित्र पद्यबद्ध रागमालाएँ प्रमुख हैं।

राजस्थान के प्रमुख संगीतकार

1. सवाईप्रताप सिंह - जयपुर नरेश सवाईप्रताप सिंह संगीत एवं चित्रकला के प्रकांड विद्वान और आश्रयदाता थे। इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई जिसके लेखन में इनके राजकवि देवर्षि बृजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी थी।
2. महाराजा अनूप सिंह- बीकानेर के शासक जो स्वयं एक विद्या अनुरागी तथा विद्वान संगीतज्ञ थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट इन्हीं के दरबार में था
3. पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर- यह महाराष्ट्र के थे इन्होंने संगीत पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे तथा संगीत को जन-जन तक पहुंचाया।

4. पंडित विष्णु नारायण भातखड़े - प्रसिद्ध संगीत सुधारक एवं प्रचारक इनका जन्म 1830 में हुआ
5. पंडित उदय शंकर- उदयपुर में जन्मे श्री उदय शंकर प्रख्यात कथकली नर्तक रहे हैं।
6. पंडित रविशंकर.- मैहर के बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य प्रख्यात नृत्यकार पंडित उदय शंकर के अनुज पंडित रविशंकर वर्तमान में विश्व के शीर्षस्थ सितार वादक हैं उन्होंने भारतीय संगीत को विदेशों तक लोकप्रिय बनाया है इन्हें अमेरिका का प्रसिद्ध संगीत पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है।
7. पंडित विश्व मोहन भट्ट- जयपुर के विश्व प्रसिद्ध सितार वादक जिन्हें 1994 में स्पेनिश गिटार वादक के साथ जुगलबंदी कर कॉन्पैक्ट डिस्क प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला उन्होंने एक नई राग गौरीम्मा का सृजन किया पंडित विश्व मोहन भट्ट ने पश्चिमी गिटार में 14 तार जोड़ कर इसे मोहन वीणा का रूप दिया जो वीणा सरोज एवं सितार का समिश्रण है इनके बड़े भ्राता पंडित शशि मोहन भट्ट भी प्रसिद्ध सितार वादक थे जिनका वर्ष 2001 में जयपुर में निधन हो गया।
8. जहीरुद्दीन फैयाज उद्दीन डागर- प्रसिद्ध ध्रुपद गायक जिन्होंने ध्रुपद में जुगलबंदी की परंपरा स्थापित की और ध्रुपद को नया रूप दिया, जियाउद्दीन का पदम भूषण रहीमुद्दीन डागर सभी इसी घराने के हैं :-
9. बन्नो बेगम- जयपुर की प्रसिद्ध गायिका जो जयपुर की प्रसिद्ध गायिका व नर्तकी गौहर जान की पुत्री हैं।
10. अमीर खुसरो- इसका जन्म उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में हुआ था खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे इन्होंने इरानी और भारतीय संगीत शैलियों के संबंध से हिंदुस्तानी संगीत प्रारंभ किया तथा गायन की एक नई शैली कव्वाली विकसित किया।
11. राजा मानसिंह तोमर- ग्वालियर के शासक जो स्वयं भी एक अच्छे विद्वान और संगीतज्ञ थे उन्होंने बैजू बावरा के सहयोग से ध्रुपद गायन को परिष्कृत रूप प्रदान कर उसका पुनरुद्धार किया।

12. तानसेन- मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन भारत के अब तक के सबसे विद्वान संगीतज्ञ हुए हैं यह ध्रुपद की गौहरवाणी के सर्वाधिक ज्ञाता थे।
13. बँजू बावरा —ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर की दरबारी संगीतज्ञ तथा तानसेन समकालीन बँजू बावरा ध्रुपद के सिद्धहस्त गायक थे।
14. अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध गायिका मानी जाती हैं जो कि बीकानेर जिले से हैं।

- **शास्त्रीय नृत्य** - अनादि काल से मनुष्य अपने आनंद के क्षणों में प्रसन्नता से झूम कर भंगिमाओं का अनायास, अनियोजित प्रदर्शन करता है। इसी को नृत्य कहते हैं।

यदि नृत्य को निश्चित नियमों व व्याकरण के माध्यम से किया जाए तो यह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है।

लोक नृत्य किसी नियम से बंधे नहीं होते हैं। ये उमंग में भर कर साधारणतया सामूहिक रूप में किये जाते हैं। इनमें न तो मुद्राएँ निर्धारित होती हैं और न ही अंगों का निश्चित परिचालन होता है। लोक नृत्य को सामाजिक बंधन व देश को भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती हैं।

राजस्थान का एक मात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसके प्रवर्तक भानुजी माहराज को माना जाता है तथा जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है।

कथक नृत्य का आधुनिक घराना लखनऊ घराना है। वर्तमान में यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है तथा बिरजू महाराज इस नृत्य के अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं।

• राजस्थान के लोकगीत

लोकगीत सरल तथा साधारण वाक्यों से ओत-प्रोत होते हैं और इसमें लय को ताल से अधिक महत्व दिया गया है राजस्थान के लोकगीत में मुख्यतः तीन वस्तुओं का समायोजन होता है, ये निम्न हैं गीत (शब्द योजना) , धुन (स्वर योजना) , वाद्य (स्वर तथा लय योजना)। राजस्थान के लोकगीत में तीन, सात, नौ, बत्तीस व छप्पन संख्याओं का प्रयोग मिलता है और साथ ही लय बनाने के लिए उनमें निरर्थक शब्दों का भी समायोजन कर लिया जाता है।

कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टॉड को मानते हैं, किन्तु वास्तविक अर्थों में 1892 ई 0 में प्रकाशित C. E. गेब्लर का ग्रंथ ' फोक सांग्स ऑफ सदर्न इंडिया ' को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए ।

राजस्थान के लोकगीत

- राजस्थान के लोक गीतों को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था ।

आंगो मोरियों

- यह एक राजस्थानी लोक गीत है , जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है ।

औल्युँ

- यह किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है ।

आंबो

- यह गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है ।

अजमो

- यह गीत गभविस्था के आठवें महीने में गाया जाता है।

इडूणी

- यह गीत स्त्रियां पानी भरने जाते समय गाती हैं।

उमादे

- राजस्थान में यह सूठी रानी का गीत है।

ढोलामारु

- यह सिरोंही का प्रेमकथा पर आधारित गीत है। इसे ढाढी गाते हैं। इसमें ढोला मारु की प्रेमकथा का वर्णन किया गया है।

झोरावा

- जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत है।

झूलरिया

- यह गीत माहेश या भात भरते समय गाया जाता है।

फतमल

- यह गीत हाड़ौती के राव फतहल तथा उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है।

फतसड़ा

- विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है।

फाग

- यह होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है।

तेजा

- यह तेजाजी की भक्ति में खेत की बुवाई/जुताई करते समय गाया जाता है।

मोरिया थाई रे थाई

- इस गरसिया गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है और महिलाएं इसके इर्द-गिर्द नृत्य करती हैं।

मरसिया

- मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत।

मोरिया

- इसमें ऐसी बालिका की व्यथा है, जिसका संबंध तो तय हो चुका है, लेकिन विवाह में देरी है यह एक विरह गीत है। मोरिया का अर्थ मोर होता है।

माहेरा

बहिन के लड़के या लड़की की शादी के समय भाई उसको चूनड़ी ओढ़ाता है

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 3

लोक नृत्य एवं कला

- **घूमर** - राजस्थान की संस्कृति का पहचान चिह्न बन चुका 'घूमर' नृत्य राजस्थान के 'लोकनृत्यों की आत्मा' कहलाता है। यह नृत्य सभी मांगलिक अवसरों पर राज्य के अधिकांश भागों विशेषकर जयपुर एवं मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। 'घूमर' शब्द की उत्पत्ति 'घुम्म' से हुई है, जिसका अर्थ होता है, 'लहंगे का घेर'। घूमर में महिलाएं घेरा बनाकर 'घूमर लोकगीत' की धुन पर नाचती हैं। इसमें मंद गति से कहरवा ताल बजता है। बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य 'झूमरियो' कहलाता है।
- **ढोल नृत्य** - राजस्थान के जालोर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसमें नर्तक विविध कलाबाजियाँ दिखाते हैं। यह नृत्य ढोली, सरगरा, माली, भील आदि जातियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कई ढोल एवं थालियाँ एक साथ बजाए जाते हैं। ढोलवादकों का मुखिया थाकना शैली में ढोल बजाना प्रारम्भ करता है।
- **बिदौरी नृत्य** - राज्य के झालावाड़ क्षेत्र में होली या विवाह के अवसर पर गैर के समान किया जाने वाला लोकनृत्य, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं।
- **झूमर नृत्य** - हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसरों एवं त्यौहारों पर किया जाने वाला गोलाकार नृत्य जो डाण्डियों की सहायता से किया जाता है।
- **चंग नृत्य** - शेखावाटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोकनृत्य, जिसमें प्रत्येक पुरुष चंग की थाप पर गाते हुए नाचते हैं।
- **गीदड़** - शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय एवं बहुप्रचलित लोकनृत्य, जो होली से पूर्व 'डांडा रोपण' से प्रारम्भ होकर होली के बाद तक चलता है। गीदड़ नाचने वालों को 'गीदड़िया' कहा जाता है।

तथा स्त्रियों का स्वांग करने वालों को 'गणगौर' कहा जाता है। नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं जिसमें सेठ-सेठानी, दूल्हा-दुल्हन, डाकिया-डाकिन, पठा: व सरता के स्वांग प्रमुख हैं।

- **घुड़ला नृत्य** - मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर प्रचलित इस लोक नृत्य के साथ घुड़ला गीत गाए जाते हैं, जिसमें बालिकाएँ मिट्टी का बर्तन लेकर नाचती हुई घर-घर जाकर तेल माँगती हैं। इस नृत्य में गाया जाता है—“सुहागण घाल तेल, घुड़लों घुमे छँ।” जाँधपुर नरेश राव सातल की याद में यह नृत्य किया जाता है जिन्होंने अजमेर के सामंत मल्लू खाँ के सेनापति घुड़लै खाँ को मारकर पीपाड़ से अगवा की गई, तीजणियों को मुक्त कराया था।
- **अग्नि नृत्य** - बीकानेर के जसनाथी सिद्धों द्वारा 'फर्त-फर्त' के उद्घोष के साथ तपते अंगारों पर किया जाने वाला यह नृत्य दर्शकों (भक्तों) को रोमांचित कर देता है। यह नृत्य फाल्गुन-चैत्र के महीनों - में किया जाता है।

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - 4

प्रमुख सम्प्रदाय एवं लोक संत

प्रदेश में सर्वाधिक हिन्दू पाये जाते हैं, जो वैष्णव धर्म में आस्था रखते हैं। यहां मुख्यरूप से वैष्णव, शैव व शाक्त मत के अनुयायी पाये जाते हैं। ये मत ही अनेक सम्प्रदायों में बंटे हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से दो सम्प्रदायों के लोग पाये जाते हैं -

1. **सगुण सम्प्रदाय** - ये भगवान व मूर्तिपूजक होते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं। ये निम्नलिखित हैं - रामानुज सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, निर्बिक सम्प्रदाय, नाथ सम्प्रदाय, गौडीय सम्प्रदाय, पाशुपत सम्प्रदाय, चरणदासी सम्प्रदाय, मीरा दासी सम्प्रदाय।
2. **निर्गुण सम्प्रदाय** - ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो आत्मा व मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। ये निम्नलिखित हैं - विश्वोई सम्प्रदाय, जसनाथी सम्प्रदाय, दादू सम्प्रदाय, रामस्नेही सम्प्रदाय, परनामी सम्प्रदाय, निरंजना सम्प्रदाय, लालदासी सम्प्रदाय, कबीर पंथा।

रामस्नेही सम्प्रदाय:-

- इसके प्रवर्तक रामचरणदास जी थे। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। जिसे इनके गुरु कृपाराम ने रामचरण कर दिया।
- रामचरण जी का जन्म टोंक जिले के सोड़ा ग्राम में विजयवर्गीय परिवार में 1518 को हुआ। इनके पिता का नाम बखतराम, माता का नाम देवजी था। इनका स्वर्गवास 1598 शाहपुरा (भीलवाड़ा) में हुआ था। यहां पर रामस्नेही सम्प्रदाय की मुख्य पीठ है।
- इनके द्वारा ब्रजभाषा में लोकगीतों का संग्रह किया गया, जिसे आन भाई. बेणी कहा।
- इनके पूजा स्थल रामद्वारा कहलाते हैं। व मुख्य ग्रन्थ अर्णमिपाणी है।
- दादू जी ने अपने उपदेश साडुकड़ी भाषा में दिये
- इस मत में मूर्ति पूजा नहीं करते व गुलाबी वस्त्र पहनते हैं।
- फूलडोल मेला (शाहपुरा) होली के पश्चात् दूसरे दिन चैत्र कृष्ण द्वितीया से चैत्र कृष्ण पंचमी तक लगता है।
- रामचरण जी के 12 प्रधान शिष्य थे तीन अन्य स्थानों पर पीठ है।
- **सिंहथल** - बीकानेर, प्रवर्तक - हरिदास जी थे। इनके गुरु जयमल दास थे। इन्होंने निशानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें प्राणायाम व योग साधना का वर्णन किया गया है।

- **रैण** - नागौर, प्रवर्तक - दरियावजी । इनके गुरु प्रेमनाथ थे । इनका जन्म पाली में विक्रम संवत् 1758 को हुआ । इन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया तथा राम शब्द के दो अर्थ बताये - रा-राम, म-मोहम्मद
- **खेडापा** - जाँधपुर , प्रवर्तक रामदास जी । इनके गुरु हरिरामदास जी थे । इन्होंने मूल सम्प्रदाय के आदेशों को ही आगे बढ़ाया ।

दादू सम्प्रदाय:-

- इसके प्रवर्तक दादू दयाल जी थे । इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है । इनका अभिवादन सत्यराम होता है । दादू जी का जन्म चैत्र शुक्ल अष्टमी सन् 1544 को गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था ।
- सन्त बुद्धाराम/बुडडन जी / बृन्दावन जी (ये संत कबीर के शिष्य थे) से दीक्षा ग्रहण की और 19 वर्ष की आयु में राजस्थान आये ।
- इन्होंने अपना प्रथम उपदेश 1568 में सांभर में दिया तथ यही ब्रह्म की उपासना पर जोर देते थे तथा दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते थे ।
- 1585 में दादू जी को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया ।
- इन्होंने बाह्य आडम्बरों को दूर करने के लिए निपख नामक आन्दोलन चलाया ।
- नरायणा (नरैणा) जयपुर में इनका अन्तिम समय व्यतित हुआ, जहाँ इनकी प्रधा गद्दी है।
- कविता रूप में व्यक्त विचारों को दादू वाणी तथा दादू दयाल जी रा दूहा कहा जाता है ।
- मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया तथा हिन्दू मुसलमान एकता पर ध्यान दिया था ।
- निर्गुण ब्रह्म का उपसना व शव को जंगलों में खुला छोड़ना, मोक्ष में विश्वास नहीं रखत थे।
- दादू जी का मेला नरायणा मे फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भरता है ।
- दादू जी के 152 शिष्य माने जाते हैं जिनमें से 52 प्रधान शिष्य थे जो 52 स्तम्भ कहलाते थे ।

दादू की पाँच प्रमुख शाखाएँ हो गईं -

1. खालसा (गरीबदास जी से संबंधित)

1. विरक्त (इसे निहग भी कहा जाता है, जो चलते फिरते हुये गृहस्थों को आदेश देते हैं)
2. उतरादे (ये राजस्थान छोड़कर उत्तर भारत चले गये) 4ण् खाकी (ये शरीर पर भस्म रमा कर रहते हैं) 5. नागा (ये नंगे रहते हैं, इसकी स्थापना सुंदरदास जी ने की थी)

अलख दरीबा - दादू पंथ के सत्संग स्थलों को कहा जाता है।

हरडेबानी - दादू जी के शिष्य रज्जब जी द्वारा लिखित ग्रंथ।

दादू खोल - दादू जी के शरीर को भरना (नारायणा, जयपुर) की पहाड़ी की इस गुफा में समाधि दी गई।

दादूजी के मुख्य शिष्य - इनके 152 शिष्य थे, जिनमें इनके पुत्र गरीबदास व मिस्किन दास के अलावा रज्जब जी, सुंदर दास जी, जन गोपाल जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जी थे।

संत सुंदरदास जी - इनका जन्म दौसा में खण्डेलवाल परिवार में 1956 में हुआ। इनके पिता का नाम परमानन्द था। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधुवर्ग को प्रारंभ किया। इनके ग्रंथ ज्ञान समुद्र, ज्ञान सर्वैया, सुंदर विलास, सुंदर सार तथा सुंदर ग्रंथावली हैं। इनका निधन 1664 में सांगानेर में हुआ।

रज्जब जी - इनका जन्म सांगानेर (जयपुर) में 16 वीं शताब्दी में पठान परिवार में हुआ। विवाह करने जाते समय दादू जी के उपदेश सुन लिए तो उसी समय उनके शिष्य बन गये और आजीवन दूल्हों के वेश में दादू के उपदेश देते रहे। इन्होंने रज्जब वणी, हरडे वाणी व सर्वगी ग्रंथ लिखे। इनका स्वर्गवास सांगानेर में हुआ, जहाँ इनकी प्रधान गद्दी है।

संत गरीबदास जी - ये दादू दयाल जी के पुत्र थे, जिनका जन्म 1575 में हुआ। दादू जी के बाद प्रधान गद्दी पर ये ही बैठे थे, इन्होंने साखी पद, अनभै प्रबोध तथा अध्यात्म प्रबोध नामक ग्रंथ लिखे।

संत जनगोपाल जी - ये फतेहपुर सीकरी निवासी थे। दादू जी की सीकरी यात्रा के दौरान इन्होंने गुरुमंत्र लिया तथा दादू दयाल लीला परची, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भरत चरित्र, मोह विवेक, सुख संवाद, चौबीस गुरुओं की लीला नामक ग्रंथ लिखे।

मीरा बाई (मीरा दासी सम्प्रदाय):- -

- मीरा का जन्म मेडता ठिकाने के कुडकी ग्राम (वर्तमान पाली) में हुआ।
- मीरा का जन्म का नाम प्रेमल था, इन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। माता का वीर कंवरी तथा पिता का नाम रतनसिंह (राठौड़ वंशी बाजोली के जागीरदार थे)।
- शिक्षक व धार्मिक गुरु गजाधर थे तथा इनके पुस्तैनी गुरु चम्पा जी थे तथा इनके गुरु रैदास थे एवं आध्यात्मिक गुरु इनके दादाजी राव दूदा थे।
- मीरा का विवाह 1516 ई. में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही खातौली के युद्ध (1518 ई.) में भोजराज की मृत्यु हो गयी थी।
- भोजराज कर्मवती हाड़ी के पुत्र थे।
- विक्रमादित्य द्वारा मीरा को भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाएँ दी गईं। जिससे वे वृन्दावन चली गईं थी।
- द्वारिका (गुजरात) रणछोड़ जी की मूर्ति में सन् 1540 में लीन हो गईं।
- इन्होंने सगुण भक्ति पर जोर दिया तथ भक्ति का मार्ग भजन, नृत्य व कृष्ण स्मरण को बताया।
- इनकी प्रमुख रचनाएँ - नरसी जी को मायरो (मीरा जी के दिशा-निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा रचित) गीतगोविन्द टीका, स्कमणी मंगल नरसी मेहता री हुण्डी, पदवलियाँ आदि।
- मीरा के दादा जी दूदा जी ने मीरा के लिए मेडता में आराध्य देव चारभुजा नाथ जी का मंदिर बनवाया व सांगा ने कुम्भश्याम मंदिर के पास कुंवरपदे महल बनवाया।

रामानन्दी सम्प्रदाय:- -

- यह वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। इसके प्रवर्तक रामानन्द जी थे। इनके गुरु रामानुज आचार्य थे। इन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति को प्रारंभ किया। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा इनके शिष्य रहे हैं।
- इस सम्प्रदाय की प्रमुख पीठें निम्न प्रकार हैं -

गलता जी - यह इस सम्प्रदाय की प्रधान पीठ है। इसकी स्थापना कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई। पयहारी जी ने आमों के शासक पृथ्वीराज के गुरु कापालिक सम्प्रदाय के

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063 , 8504091672



अध्याय - 5

लोक देवता और लोक देवी

लोक देवियाँ

राजस्थान के प्रमुख लोक देविया और देवता निम्नलिखित हैं -

करणी माता

- बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी। 'चूहों वाली देवी' के नाम से विख्यात। जन्म सुआप गाँव के चारण परिवार में।
- मंदिर - देशनोक (बीकानेर)।

करणी जी के काबे

- इनके मंदिर के चूहे। यहाँ सफेद चूहे के दर्शन करण जी के दर्शन माने जाते हैं।
- राव जोधा के समय मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी।
- करणी माता की गायों का ग्वाला-दशरथ मेघवाल
- राव कान्ह ने इनकी गायों पर हमला किया।
- महाराजा गंगासिंह ने इस मन्दिर में चांदी के किवाड़ भेंट किया।
- इनके बचपन का नाम रिद्धुबाई था।
- मठ - देवी के मन्दिर को मठ कहते हैं।
- अवतार - जगतमाता
- उपनाम - काबा वाली माता, चूहों की देवी।
- करणी जी की इष्ट देवी 'तेमड़ाजी' हैं। करणी जी के मंदिर के पास तेमड़ाराय देवी का भी मंदिर है। करणी देवी का एकरूप 'सफेदचील' भी है।
- 'नेहड़ी' नामक दर्शनीय स्थल है जो करणी माता के मंदिर से कुछ दूर स्थित है।
- करणी जी के मठ के पुजारी चारण जाति के होते हैं।
- करणी जी के आशीर्वाद एवं कृपा से ही राठौड़ शासक 'रावबीका' नेबी का ने रमें राठौड़ वंश की स्थापना की थी। चौत्र एवं आश्विन माहकी नवरात्रि में मेला भरता है।

जीण माता -

- चौहान वंश की आराध्य देवी। ये धंधराय की पुत्री एवं हर्ष की बहन थी। मंदिर में इनकी अष्टभुजी प्रतिमा है। मंदिर का निर्माण रैवासा (सीकर) में पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ द्वारा।
- जीणमाता की अष्टभुजा प्रतिमा एक बार में ढाई प्याला मदिरा पान करती है। इसे प्रतिदिन ढाई प्याला शराब पिलाई जाती है।
- जीणमाता का मेला प्रतिवर्ष चौत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में लगता है।
- जीणमाता तांत्रिक शक्तिपीठ है। इसकी अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी एवं तेल की दो अखण्ड ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है।
- जीणमाता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लम्बा है। यह गीत कनफटे जोगियों द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य की संगत में गाया जाता है।
- जीणमाता का अन्य नाम भ्रामरी देवी है।

कैला देवी -

- करौली के यदुवंश (यादववंश) की कुल देवी। इनकी आराधना में लागुरिया गीत गाये जाते हैं।
- मंदिर :- त्रिकूटपर्वतकीघाटी (करौली) में। यहाँ नवरात्रा में विशाल लक्खी मेला भरता है।
- कैलादेवी का लक्खी मेला प्रतिवर्ष चौत्र मास की शुक्ला अष्टमी को भरता है। कैलादेवी मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है।

शिला देवी -

- जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्यदेवी / कुलदेवी। इनका मंदिर आमेर दुर्ग में है।

अन्नपूर्णा -

- शिलामाता की यह मूर्तिपाल शैली में काले संगमरमर में निर्मित है। महाराजा मानसिंह पं. बंगाल के राजा के दार से सन् 1604 में मूर्ति लाए थे।

- इस देवी को नरबलि दी जाती थी तथा यहाँ भक्तों की मांग के अनुसार मन्दिर का चरणामृत दिया जाता है। मान्यता है कि इस देवी की जहाँ पूजा होती है उसे कोई नहीं जीत सका।

जमुवायमाता-

- ढूँढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी। इनका मंदिर जमुवारामगढ़, जयपुर में है। दुलहराय द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया।

आई.जी माता -

- सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी। इनका मंदिर बिलाड़ा (जोधपुर) में है। मंदिर 'दरगाह' व थान 'बड़ेर' कहा जाता है। ये रामदेवजी की शिष्या थी। इन्हें मानी देवी (नवदुर्गा) का अवतार माना जाता है।
- इनके मन्दिर में मूर्ति नहीं होती तथा एक दीपक की लौ से के सरटपकती रहती हैं। इनके मन्दिर का पूजारी दीवान कहलाता है।

राणी सती -

- वास्तविक नाम 'नारायणी'। 'दादीजी' के नाम से लोक प्रिय। झुंझुनू में राणी सती के मंदिर में हरवंश भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है।
- इनके पति का नाम - तन धनदास

नोट-

- इन्होंने हिसार में मुस्लिम सैनिकों को मारकर अपने पति की मृत्यु का बदला लिया और स्वयं सती हो गयी कुलदेवी।
- अग्रवाल समाज की कुलदेवी।
- राज्य सरकार ने 1988 में इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि 1987 में देवराला (सीकर) में "रूपकंवर" नामक राजपूत महिला सती हो गयी थी।

आवड़ माता -

- जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी । इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत (जैसलमेर) पर है।
- जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर एक साथ सात कन्याओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है ।

स्वांगियाजी माता-

- सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है।

शीतला माता-

- चेचक की देवी। बच्चों की संरक्षिका देवी । जांटी (खेजड़ी) को शीतला मानकर पूजा की जाती है।
- मंदिर-चाकसू (जयपुर) जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा श्री माधोसिंह द्वितीय जी ने करवाया था।
- चौत्र कृष्णा अष्टमी को वार्षिक पूजा व इस मंदिर में विशाल मेला भरता है। इस दिन लोग बाख्योड़ा मनाते हैं।
- इनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है तथा पुजारी कुम्हार होते हैं।
- इनकी सवारी 'गधा' है।
- इसे सैढल माता या महामाई. भी कहा जाता है।
- शीतलाष्टमी को लोग बाख्योड़ा (रात का बनाया ठण्डा भोजन) खाते हैं।
- शीतला माता एकमात्र देवी है जो खण्डित रूप में पूजी जाती है।

सुगाली माता -

- आउवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी । इस देवी प्रतिमा के दस सिर और चौपन हाथ हैं।
- इन्हें 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है।

नकटी माता -

- जयपुर के निकट जयभवानी पुरा में 'नकटीमाता'का प्रतिहार कालीन मंदिर है ।

ब्राह्मणी माता -

बाराँ जिले के अन्ता कस्बे से 20 किमी. दूर सोरसन् ग्राम के पास ब्राह्मणी माता का विशाल प्राचीन

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /



संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - 8

सामाजिक रीत रिवाज एवं प्रथाएँ

सोलह संस्कार

1. गर्भधान
2. पुंसवन
3. सीमन्तोन्नयन
4. जातकर्म
5. नामकरण
6. निष्क्रमण
7. अन्नप्राशन
8. चूडाक्रम या जडूला
9. कर्णवेध
10. विद्यारम्भ
11. उपनयन
12. वेदारम्भ
13. केशान्त या गोदान
14. समावर्तन या दीक्षान्त
15. विवाह
16. अंत्येष्टि

हमारे यहां जीवन के हर मोड़ पर किसी न किसी रीति रिवाज का निर्वहन किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख संस्कार, रिवाज इस प्रकार हैं।

1. गर्भधान

जब किसी महिला द्वारा बार, गर्भधारण किया जाता है, तब महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाये जाते हैं।

2. आठवाँ पूजन

गर्भाधारण के आठवे महीने में आठवाँ पूजन किया जाता है देवताओं से मन्नत मांगी जाती है। कि जच्चा बच्चा स्वस्थ व सुरक्षित रहे। इस अवसर पर गर्भाधारण करने वाली महिला के पीहर वाले विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं।

3. जन्म घंटी पिलाना

बच्चे के पैदा होने पर परिवार की किसी वृद्ध महिला द्वारा बच्चे को जन्म घंटी पिलाई जाती है।

4. कांसी की थाली बनाना

बच्चा पैदा होते ही परम्परानुसार कांसी की थाली डंडे से बनाई जाती है।

5. कुआ पूजन (जलवायु पूजन)

बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद जच्चा को लेकर देवी देवताओं के गीत गाते हुए पनघट या कुएं पर पहुंचा जाता है। जहाँ कुएं की पूजा की जाती है। इसे जलवा पूजन भी कहा जाता है।

6. नामकरण संस्कार

व्यक्ति के कुल सोलह संस्कार होते हैं, उनमें नामकरण भी एक है बच्चा पैदा होने पर ज्योतिषी से बच्चे का नामकरण करवाया जाता है। यह संस्कार प्रायः जन्म के ग्यारहवें दिन किया जाता है। पण्डित द्वारा जन्म घड़ी एवं नक्षत्रों के हिसाब से राशि का निर्धारण करते हुए नामकरण किया जाता है। कुल बारह राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि में नौ नौ अक्षर होते हैं। इन अक्षरों में से ही किसी एक शुभ अक्षर से आरम्भ होने वाला नाम रख लिया जाता है।

7. आख्या

बच्चे के जन्म के आठवे दिन बहिन बेटियों को बुलाया जाता है आख्या की रस्म बहिन बेटियों द्वारा पूरी की जाती है। पूजन होता है, नवजात शिशु को साधिया भेंट किया जाता है स्वास्तिक एवं मांगलिक चिन्ह है। जो शुभ होकर विजय का प्रतीक है।

8. मुण्डन संस्कार

जब बच्चा साल भर में अधिक बड़ा हो जाता है तब किसी शुभ दिन बच्चे के सिर के बाल उतारते हुये मुण्डन किया जाता है। सामान्यतः यह मुण्डन किसी तीर्थस्थल, देवस्थान, देवी देवताओं के मंदिर में सम्पन्न होता है।

9. सगाई.

लडका या लडकी के परिजन किसी चारण, भाट या पुरोहित को मध्यस्थ बनाकर सगाई. की बात करने भेजते है जब दूसरा पक्ष सगाई. के प्रस्ताव को स्वीकर कर लेता है तो इसे लडका रोकना कहते है। इसे दस्तूत माना जाता है। जब रिश्ता पक्का हो जाता है। जब पक्की सगाई. की रस्म निभाई. जाती है। सगाई. के दौरान प्रायः लडकी वाले लडके वाले के घर पर पहुंचकर सगाई. की रस्म पूरी करते है। इसके तहत वर को अंगुठी पहनाना, टीका लगाना, कपडे पहनाना, दोनों पक्षो के लागों का परस्पर मिलना, स्वागत भोजन आदि होता है। सगाई. को टीका भी कहा जाता है।

10. यज्ञोपवीत संस्कार

प्राचीन समय में यह एक आवश्यक संस्कार माना जाता था, किन्तु आधुनिक युग में यह केवल ब्राह्मण समाज तक ही सीमित हो गया है। बच्चे की आयु दस वर्ष की होने पर यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वैदिक रीति से बच्चे को कुछ महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ जनेऊ धारण करवाई. जाती है। व्यक्ति को संगम, नियम में रखने का यह सबसे कारगर तरीका है।

11. लग्न पत्रिका

सगाई. एवं टीके की रस्म के बाद विवाह की तिथि निश्चित की जाती है। यह तिथि वर एवं वधू पक्ष की परस्पर सहमति से तय की जाती है। लग्न पत्रिका पण्डित द्वारा लिखी जाती है। जिसमे वर वधू के नाम, गौत्र सहित विवाह की तिथि, तोरण व पाणिग्रहण का समय आदि अंकित होता है। पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्र देखकर वैवाहिक कार्यक्रम सम्बन्धी यह पत्रिका तैयार की जाती है।

12. कुमकुम पत्रिका

विवाह से कुछ दिन पूर्व वर एवं वधू पक्ष की ओर से केसर व कुमकुम से सज्जित निमंत्रण पत्रिकायें तैयार करवाई. जाती है, जिनमें वैवाहिक कार्यक्रम अंकित होता है। इसमें वर वधु के नामों के साथ ही सम्बन्धित पक्ष के परिजनों के नाम अंकित होते है। प्रथम कुमकुम पत्रिका गणेश जी को भिजवाई. जाती है। फिर दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे की पत्रिकायें प्राप्त करते है फिर सम्बन्धित पक्ष के रिश्तेदारों, परिजनों, परिचतों, मित्रों आदि को भिजवाई. जाती है।

13. विनायक पूजन

वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को लगन पत्रिका प्राप्त होते ही दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने निवास पर विनायक की स्थापना की जाती है। प्रतिदिन वर वधू द्वारा विनायक की पूजा की जाती है। तथा विवाह के बाद गणेशजी उठा लिया जाते हैं और पूजा अर्चना प्रसाद के साथ विसर्जन कर दिया जाता है।

14. बान (तेल) बँठाना

पाणिग्रहण की तिथि से पांच या सात दिन पूर्व बान ठिकानों की रस्म अदा की जाती है। वर एवं वधू को अपने अपने घरों पर चौकी पर बिठाकर पीठी, गेहूँ व जौ का आटा, घी, हल्दी, मेंहन्दी आदि का मिश्रण की जाती है। इस दिन के बाद वर व वधू को अकेले निकलना मना होता है। उन्हें लौहे की एक कटार पकड़ा दी जाती है, जिसे शरीर पर धार कर लेते हैं। माना जाता है कि लोहे की यह कटार बुरी आत्माओं, भूत प्रेतों से उनकी रक्षा करती है।

15. बिन्दोरी निकालना

विवाह से एक या दो दिन पूर्व वर एवं वधू अपने अपने स्थानों पर बिन्दोरी निकाली जाती है। वर को घोड़ी पर बिठाकर बैण्ड बाजे के साथ अपने मोहल्ले गांव में घुमाया जाता है। बिन्दोरी के दौरान नाच गान चलता रहता है।

16. निकासी

बरात प्रस्थान होने से पूर्व वर को सजाकर घोड़ी पर बिठाकर घर से निकाला जाता है। वर के पीछे औरते मांगलिक गीत गाती चलती है। नजदीकी मंदिर में पहुंचकर वर द्वारा धोक लगाई जाती है। तत्पश्चात् वर बारात के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान कर देता है घर के निकासी निकलने पर वर वापस अपने घर में दुल्हन के साथ ही प्रवेश करता है।

17. पडला

इसे बरी पडला भी कहते हैं। वर की आरे से वधू के लिए ले जाने वाले वस्त्रों, आभूषणों, मेवों, मिठाई आदि के पैकेट को पडला कहा जाता है। जब बारात वधू क यहां पहुंच जाती है, तब यह पडला बारात स्वागत से पूर्व वधू पक्ष को संभला दिया जाता है।

18. सामेला (अगवानी)

जब बारात वधू के गांव या कस्बे में पहुंच जाती हैं तब नाई. या ब्राह्मण द्वारा वधू पक्ष को बारात की सूचना दी जाती है। तब वधू पक्ष के परिजन बारात स्कने के स्थान पर

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - 9

राजस्थान में ठिकाना व्यवस्था

ठिकाना

- निवास करना, मुख्यालय। प्राचीन ख्यातों में जागीर के मुख्य गांवों के लिए राजधान, नैणसी की ख्यात में बसी, बांकीदास री ख्यात में बसी शब्द का प्रयोग हुआ है।
- जागीर पट्टे का वह मुख्य गांव जिसमें जागीरदार सपरिवार निवास करता हो और उसकी जागीर के दूसरे गांव का शासन प्रबंध उस मुख्य गांव से संचालित होने के साथ उस गांव पर पुश्तैनी अधिकार रखता हो, वही गांव ठिकाना कहलाता था।

○

राजस्थान के प्रमुख ठिकाने

मेवाड़

महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की आंतरिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ के प्रमुख ठिकानेदारों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया।

1. प्रथम श्रेणी के ठाकुर सोला कहलाते थे क्योंकि इन ठाकुरों की संख्या 16 थी।
2. द्वितीय श्रेणी के ठाकुर बत्तीसा कहलाते थे। इनकी संख्या 32 थी।
3. तृतीय श्रेणी के सरदारों को गोल कहा जाता था।

- मेवाड़ में यह व्यवस्था अमरशाही रेख के नाम से जानी जाती थी।
- महाराणा के निकट के रिश्तेदार- इस श्रेणी के ठेकेदार निकटवर्ती रिश्तेदार हुआ करते थे- बागौर, करजाली, शिवरती, कारोई, बावलास, बनेडा शाहपुरा आदि प्रमुख थे। इन्हें महाराणा के सामने बैठने का अधिकार प्राप्त था।
- मेवाड़ में सलूबर के चूण्डावत को राज्य में प्रधान का पद वंशानुगत रूप से प्राप्त था, जिसे भांजगढ़ कहते थे। सलूबर के रावत को महाराणा का राज्याभिषेक करने तथा उसके कमर में तलवार बांधने का विशेषाधिकार प्राप्त था। वह महाराणा की अनुपस्थिति में राज्य का नेतृत्व भी करता था सैनिक अभियानों में उसे अग्रिम पंक्ति में रहने का अधिकार था और वह महाराणा के साथ चलते समय दाहिने और चलता था। सलूबर के सरदार महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूण्डा के वंशज हैं।

मारवाड़

जोधपुर राज्य के संस्थापक रावज जोधा ने सर्वप्रथम मारवाड़ का शासन्त सुव्यवस्थित चलाने के लिए और अपने भू भाग की सुरक्षा के लिए अपने भाइयों और पुत्रों की भूमि वितरित की। नैतिक दृष्टि से वे शासक की सैनिक सहायता करने के लिए बाध्य थे। कर के रूप में इन्हें कुछ धनराशि राजा को देनी पड़ती थी, जिसे रेख चाकरी कहा जाता था। मालानी (मल्लिनाथ के नाम पर इस क्षेत्र को मालानी कहा गया है) के ठाकरों की मारवाड़ के सामंतों में एक पृथक श्रेणी थी।

भोमिया जागीरदार

यह सामंतों की एक अन्य श्रेणी थी जिन्हें सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए गांवों की सुरक्षा व सेवाओं के लिए जागीर प्राप्त थी। सांचौर के अधिकतर चौहान इस वर्ग के जागीरदार थे।

- राव जोधा के पश्चात् सर्वप्रथम मिशल के गठन की प्रक्रिया महाराजा सूरसिंह के समय में हुई थी। महाराजा सूरसिंह के प्रधान गोविंददास भाटी ने मारवाड़ में मुगल शासन पद्धति का अनुशरण करते हुए सामंत प्रथा में भी परिवर्तन किया अब नरेश और ठाकुरों के बीच भाई, बंधु का संबंध न रहकर स्वामी व सेवक का हो गया दरबार में डावी ओर जीवनी मिशल के सरदारों के स्थानभी निश्चित कर दिये गये। इनकी संख्या 8 निश्चित की गई। डावी मिशल इनमें राव जोधा के भाई, के वंशजों को 4 प्रमुखों ठिकानें मिले बगडी, आऊवा, आसोप कानाना। जीवनी मिशल इनमें राव जोधा के पुत्रों के वंशजों के 4 प्रमुख ठिकानें मिले-रीया, रायपुर, खेरवा, खांवसरा
- उल्लेखनीय है कि इन मिशलों के अंतर्गत केवल राठौड़ ठिकानेदारों को ही सम्मिलित किया गया था। भाटी, चौहानों को स्थान नहीं मिला।
- मारवाड़ रियासत में ठिकानेदारों की 2 प्रमुख श्रेणियां थ-

1. राजवी

श्राजा के छोटे भाई, व निकट के रिश्तेदार राजवी कहलाते थे।

2. सरदार

यह 4 श्रेणियों में विभाजित थे।

सिरायत

डावी और जीवनी मिशल के ठिकानेदार

ताजीम

इकेवडी, दोवडी, ताजीम, हाथ का कुरब, बांह पसाव, सिरे का कुरब की ताजीम वाले ठिकानेंदार इस श्रेणी में थे।

गनायत

मारवाड़ में राठौड़ो के राज्य के पूर्व अवस्थित क्षेत्रापति तथा राज परिवार से वैवाहिक संबंधो द्वारा बने संबंधी। इन ठिकानों में भाटी, कच्छवाहा, हाडा, सिसोदिया, तंवर जाडेचा आदि प्रमुख थे।

मुत्सद्दी

राज्य प्रशासन में कार्य करने के बदले प्राप्त जागीर के स्वामी मुत्सद्दी ठिकानेंदार कहलाते थे।

- मारवाड़ में राजा का राजतिलक करने का अधिकार बगडी के जैतावत ठाकुरों को प्राप्त था। वह अपने अंगुठों को तलवार से चीरकर रक्त से तिलक करता था। बगडी के ठिकानेंदार राव जोधा के बड़े भाई, अखैराज के वंशज हैं।

बीकानेर

राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। बीकानेर राज्य के रावत कांधल, राव, बीदा, मंडला, रूपा नाथा प्रथम ठिकानेंदार थे। राव बीका के उत्तराधिकारियों ने भी अपने भाई.यों, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्वतंत्र ठिकानें स्थापित किये।

- बीकानेर राज्य में ठाकुरों की 2 प्रमुख श्रेणियां थी।

1. ताजीमी ठिकानेंदार
2. गैरताजीमी ठिकानेंदार

- महाराजा रायसिंह के समय ठिकानेंदारों में पट्टा प्रणवाली शुरू की गई।
- बीमानेर शासक के राज्याभिषेक के समय बीदासर व रावतसर ठिकानेंदारों की उपस्थिति अनिवार्य थी। बीदासर का ठिकानेंदार महाराजा को तिलक करने के लिए दाहिनी मिशाल से खड़ा होकर तिलक करता था और रावतसर का ठिकानेंदार बीदासर के आगे सिंहासन की ओर मुंह करके खड़ा होता था तिलक के बाद नजराना करते समय रावतसर का

ठिकानेदार पहला नजराना करता था। बीदासर के ठिकानेदार राव बीका के सहादर भाई.
बीदा के वंशज हैं।

जैसलमेर

जैसलमेर राज्य में सुरक्षा व सैन्य सहायता के लिए भाटी ठिकानेदारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया 1. राजवी ठेकेदार 2. रावलोत ठिकानेदार, 3. ताजीमी ठिकानेदार 4. सामान्य ठिकानेदार

जैसलमेर महारावल के निकटतम संबंधी राजवी कहलाते थे व दूर के

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल

अध्याय - 1

सामान्य परिचय

प्रिय छात्रों, राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम इसे निम्न दो भागों में विभाजित करेंगे-

1. सामान्य परिचय
2. भौतिक स्वरूप

1. सामान्य परिचय-

प्रिय छात्रों, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम राजस्थान के निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे-

- (क) राजस्थान शब्द का उल्लेख
- (ख) राजस्थान की स्थिति
- (ग) राजस्थान का विस्तार
- (घ) राजस्थान का आकार
- (ङ) राजस्थान की आकृति

2. भौतिक स्वरूप - इसी प्रकार भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे-

- (क) पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश

(ख) अरावली पर्वतीय प्रदेश

(ग) पूर्वी मैदानी प्रदेश

(घ) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश

1. राजस्थान का परिचय

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख- राजस्थान- राजाओं का स्थान

प्रिय छात्रों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानी साहित्य विक्रम संवत् 682 ई. में उत्कीर्ण बसंतगढ़ (सिरोही जिला) के शिलालेख में मिलता है।

मारवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध लेखक “मुहणोत नैणसी” ने भी अपनी पुस्तक “नैणर्स री ख्यात” में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस पुस्तक में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता।

महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र के लिए “मरुकान्तार” शब्द का उल्लेख किया है।

जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन् 1800 ई. में इस भौगोलिक क्षेत्र को “राजपूताना” शब्द कहकर पुकारा। इस तथ्य का वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक “मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर थॉमस” में किया है।

जॉर्ज थॉमस:- जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के सैनिक थे जो कि 18वीं सदी में भारत आए और 1798 से 1801 तक भारत में एक छोटे से क्षेत्र (हिसार-हरियाणा) के राजा रहे। इन्होंने राजस्थान को “राजपूताना” शब्द इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजवंशों का शासन था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को “राजपूताना” कहा जाता था।

विलियम फ्रैंकलिन:- विलियम फ्रैंकलिन मूल रूप से लंदन के निवासी थे। यह जॉर्ज थॉमस के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने 1805 जॉर्ज थॉमस के ऊपर “A Military Memories of George Thomas” नामक पुस्तक लिखी थी।

अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार “अबुल फजल” ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए “मरुभूमि” शब्द का प्रयोग किया है।

1829 ईस्वी. में “कर्नल जेम्स टॉड” ने अपनी पुस्तक “एनाल्स एंड ऐंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान” में सर्वप्रथम राजस्थान को “रजवाड़ा” या राजस्थान का नाम दिया था।

कर्नल जेम्स टॉड:- कर्नल जेम्स टॉड 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में एक पॉलिटिकल (राजनीतिक) एजेंट थे तथा कुछ समय तक मारवाड़ रियासत के ब्रिटिश एजेंट भी रहे। कर्नल जेम्स टॉड यूनाइटेड किंगडम के मूल निवासी थे, उन्होंने अपने घोड़े पर घूम-घूम कर राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया इसलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है।

कर्नल जेम्स टॉड को “राजस्थान के इतिहास का पितामह” कहा जाता है।

कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड ऐंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को “सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया” के नाम से भी जानते हैं।

इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार “गौरीशंकर - हरीशचंद्र ओझा” ने किया था। इसे हिंदी में “प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण” कहते हैं।

महाराज भीम सिंह ने कर्नल की सेवाओं से प्रभावित होकर गांव का नाम “टाडगढ़” रख दिया था, जो कालांतर में टाडगढ़ कहलाने लगा जो कि आज अजमेर जिले की तहसील का मुख्यालय है।

प्रिय छात्रों, राजस्थान की स्थिति को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर तत्पश्चात एशिया में और फिर भारत में देखेंगे।

(1) राजस्थान की स्थिति “पृथ्वी” पर :- पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा-

(क) अंगारालैंड / युरेशियल प्लेट

(ख) गोंडवाना लैंड प्लेट

(ग) टेथिस सागर

(घ) पेन्जिया

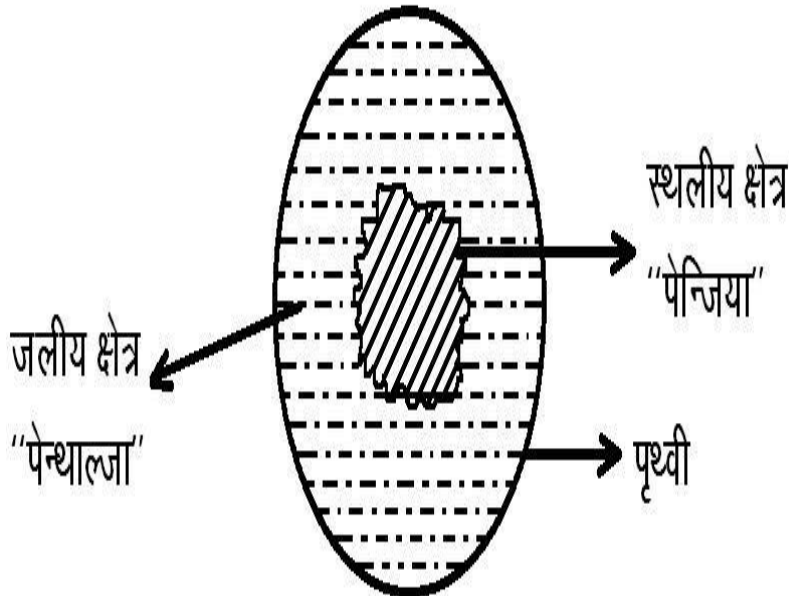
(ङ) पेंथाल्जा

नोट:- प्रिय छात्रों, कृपया ध्यान दें कि - आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई थी।

1. स्थल

2. जल

जैसा कि आज भी है, लेकिन वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित हुआ दिखता है, जैसे सात महाद्वीप अलग-अलग हैं उनके भी कई देश एक-दूसरे से काफी अलग अलग हैं इत्यादि। लेकिन बहुत पहले संपूर्ण स्थलमंडल सिर्फ एक ही था; इसी स्थलीय क्षेत्र को “पेन्जिया” के नाम से जानते थे तथा बाकी बचे हुए हिस्से को (जल वाले क्षेत्र को) “पेंथाल्जा” के नाम से जानते थे। अब इसे नीचे दिए गए मानचित्र से समझने की कोशिश कीजिए-

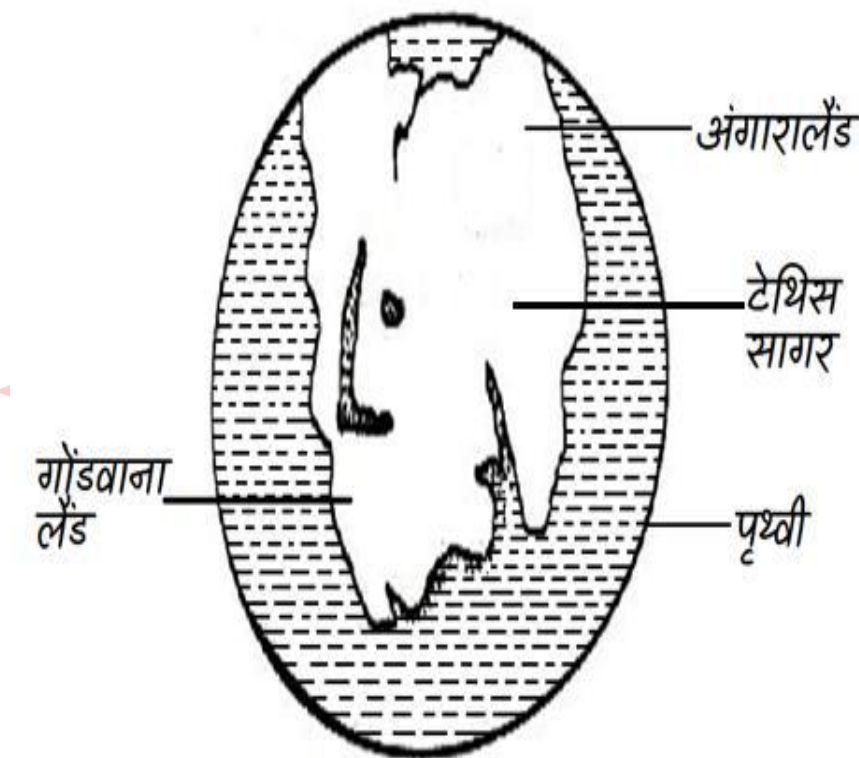


प्रिय छात्रों, पृथ्वी परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति करती है अर्थात् अपने स्थान पर भी (1 दिन में) घूमती है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति की वजह से स्थल मंडल की प्लेटों में हलचल होने की वजह से पेन्जिया (स्थलीय क्षेत्र) दो भागों में विभाजित हो गया

जिसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। इस स्थलीय क्षेत्र को “अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट” के नाम से जानते हैं।

इसके दूसरे भाग (दक्षिणी) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को “गोंडवाना लैंड” प्लेट के नाम से जानते हैं।

दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे “टेथिस सागर” के नाम से जानते थे- इसको नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से समझते हैं-



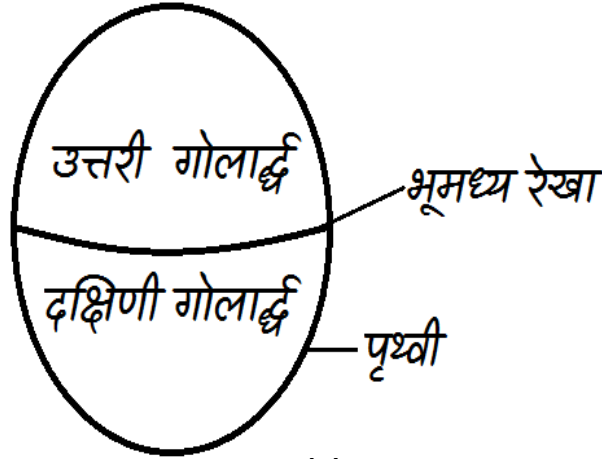
 **NOTES**
BEST WILL DO

नोट:- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें “टेथिस सागर” के अवशेष हैं तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठार भाग “गोंडवाना लैंड” प्लेट के हिस्से हैं।

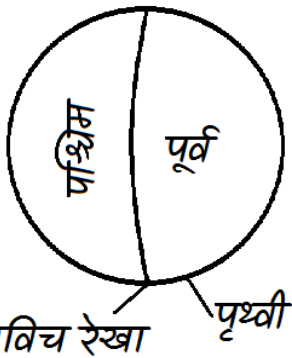
टेथिस सागर :- टेथिस सागर गोंडवाना लैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है, जो कि एक छिछला और संकरा सागर था। और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणामस्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के

यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।

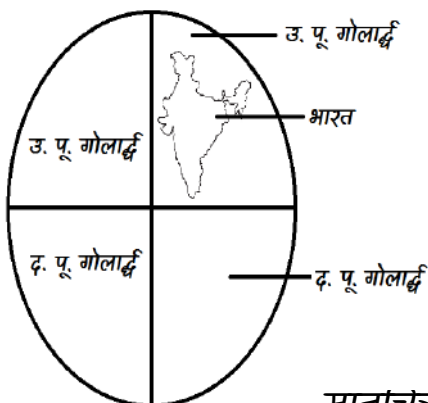
प्रिय छात्रों, अब तक हम अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, टेथिस सागर, पेंजिया तथा पेंथाल्वा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम राजस्थान की स्थिति, पृथ्वी पर का अध्ययन करते हैं नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से समझिए-



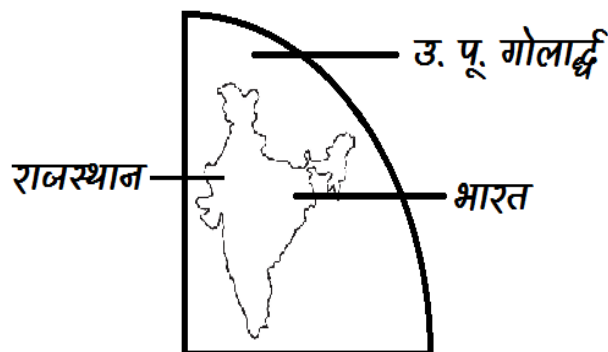
मानाचित्र - 1



मानाचित्र - 2



मानाचित्र - 3



प्रिय छात्रों ऊपर दिए गए मानचित्र के बारे में एक बार समझते हैं।

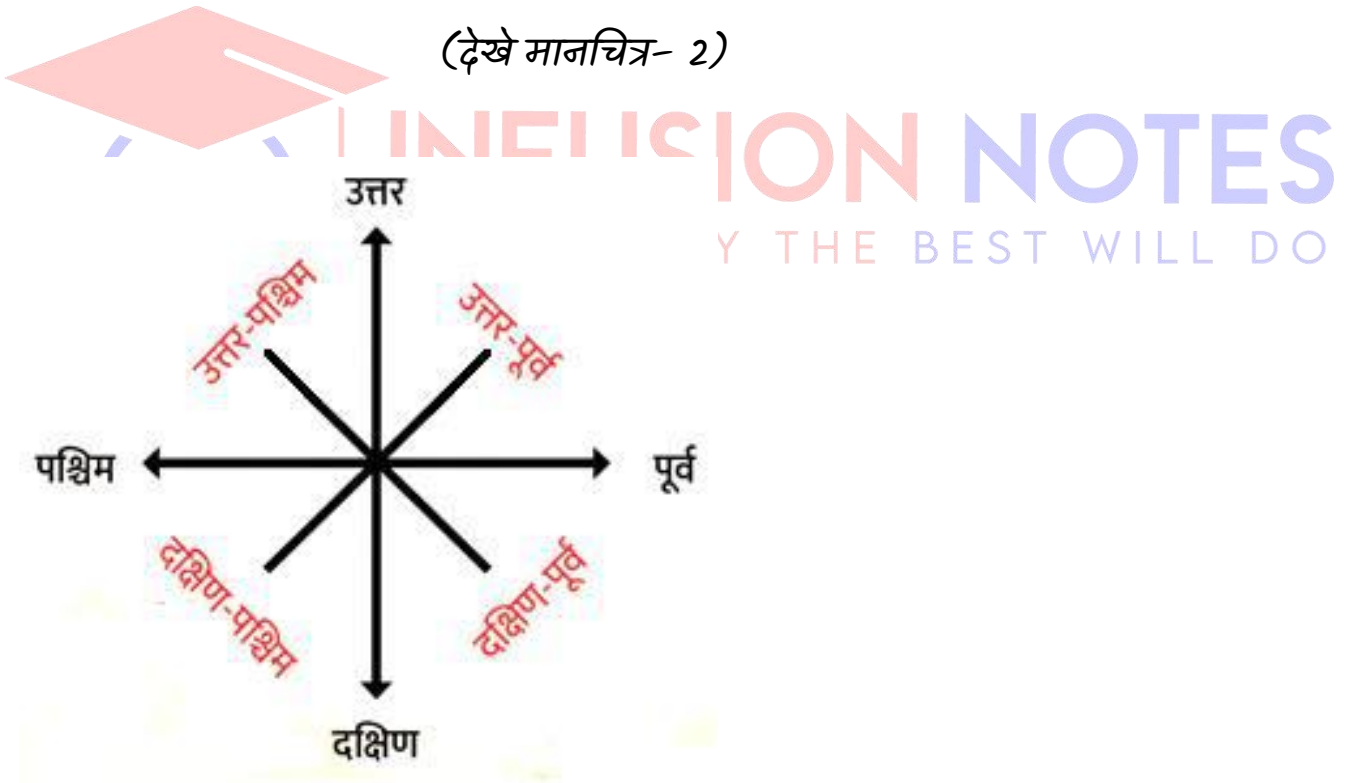
मानचित्र-1 पृथ्वी को भूमध्य रेखा से दो भागों में बांटा गया है :-

1. उत्तरी गोलार्द्ध
2. दक्षिणी गोलार्द्ध

इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बाँटती है-

1. पूर्वी क्षेत्र
2. पश्चिमी क्षेत्र

(देखे मानचित्र- 2)



नोट :-

1. विश्व (अर्थात् पृथ्वी पर) में राजस्थान “उत्तर-पूर्व” दिशा में स्थित है। (देखे मानचित्र-)

2. एशिया महाद्वीप में राजस्थान ("दक्षिणी-पश्चिमी") दिशा में स्थित है। (देखिए मानचित्र - 3,4)

3. भारत में राजस्थान उत्तर - पश्चिम में स्थित है। [देखिए मानचित्र -4 (भारत)]

प्रिय पाठकों, अब तक हमने देखा कि राजस्थान शब्द का उद्भव कैसे हुआ? तथा हमने समझा कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है? अब हम अपने अगले बिंदु "राजस्थान का विस्तार" के बारे में पढ़ते हैं-

राजस्थान का विस्तार - इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए :-

1. भूमध्य रेखा

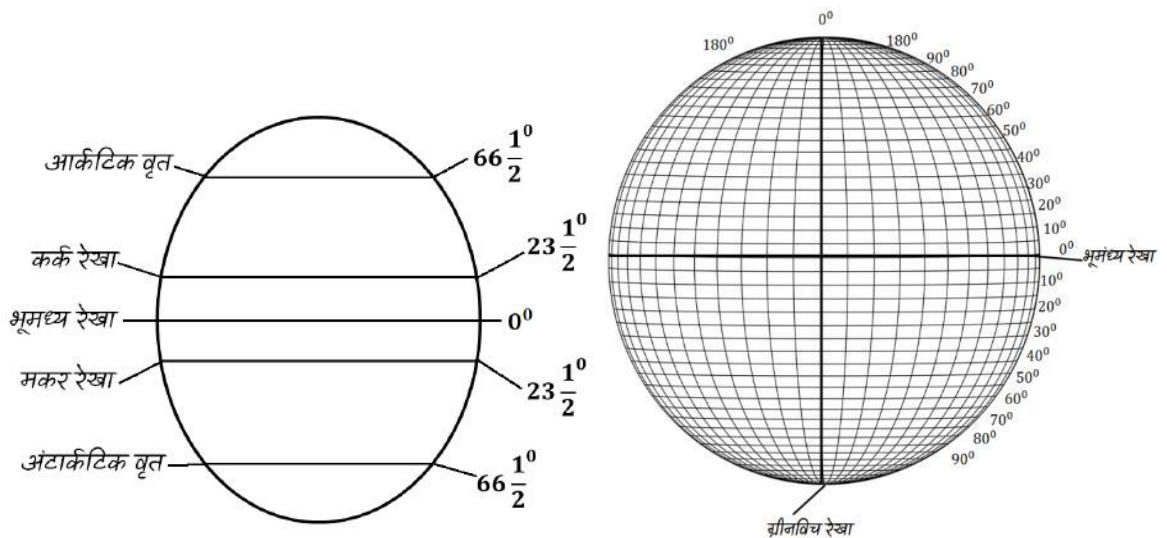
2. कर्क रेखा

3. मकर रेखा

4. अक्षांश

5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए :-



(मानचित्र न. - 1)

(मानचित्र न. - 2)

नोट - भूमध्य रेखा :- “विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा” पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्द्धों, उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करती है।

इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती, यही कारण है कि इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है।

विषुवत रेखा के उत्तर की ओर कर्क रेखा है व दक्षिण की ओर मकर रेखा है।

नोट :- पृथ्वी / ग्लोब को दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा “उत्तर - दक्षिण” तथा “पूर्व - पश्चिम” में विभाजित किया गया है। इन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं।

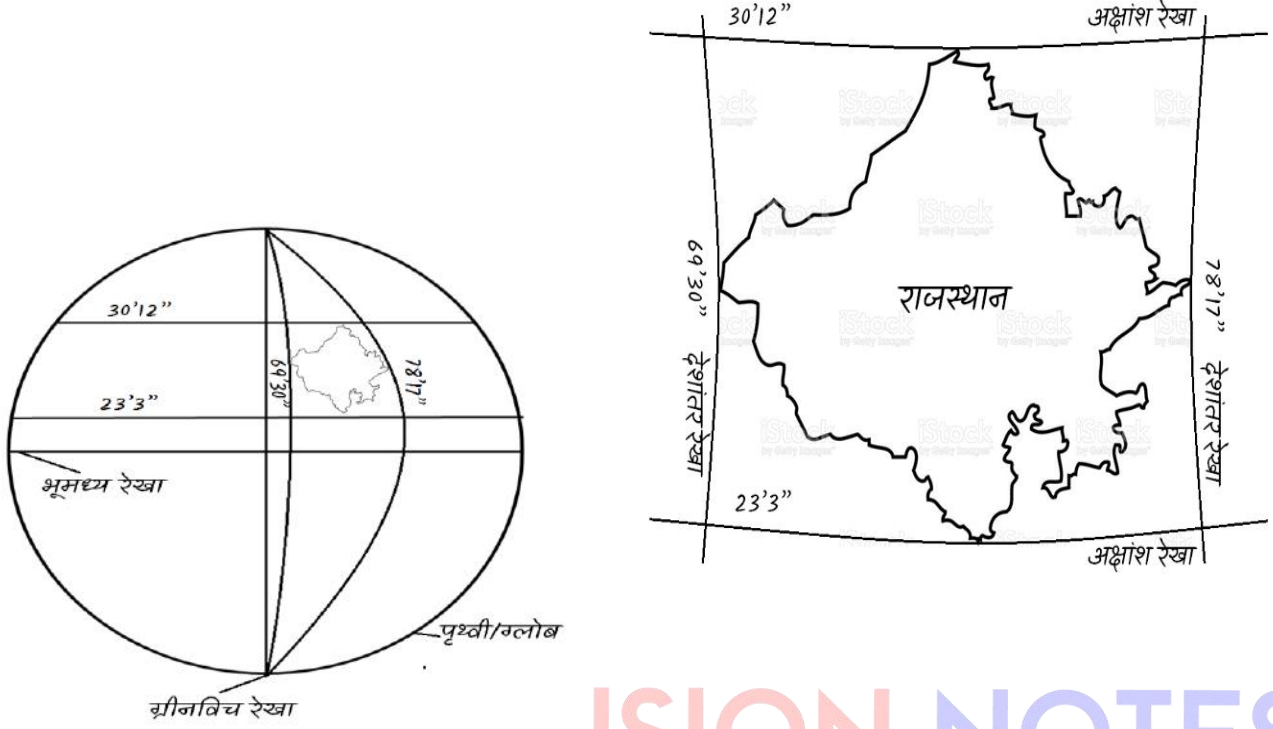
अक्षांश रेखाएँ :- वह रेखाएँ जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई हैं, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा माना गया है। (देखें मानचित्र-1)

ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (१० डिग्री उत्तरी गोलार्द्ध में और १० डिग्री दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल १८० डिग्री है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या १८१ होती है।

देशांतर रेखाएँ :- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ३६० डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है। ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान देशांतर है तथा यहां से हम १८० डिग्री पूर्व या १८०° डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।

नोट :- उपयुक्त विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारी अन्य पुस्तक “भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ें”।

राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार $23^{\circ}3''$ से $30^{\circ}12''$ उत्तरी अक्षांश ही तक है जबकि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार $69^{\circ}30''$ से $78^{\circ}17''$ पूर्वी देशांतर है। (देखें मानचित्र A, B)




INFUSION NOTES
 (मानचित्र-A)
 WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट :- राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार $7^{\circ}9''$ ($30^{\circ}12'' - 23^{\circ}3''$) है तथा कुल देशांतरीय विस्तार $8^{\circ}47''$ ($78^{\circ}17'' - 69^{\circ}30''$) है।

$1^{\circ} = 4$ मिनट

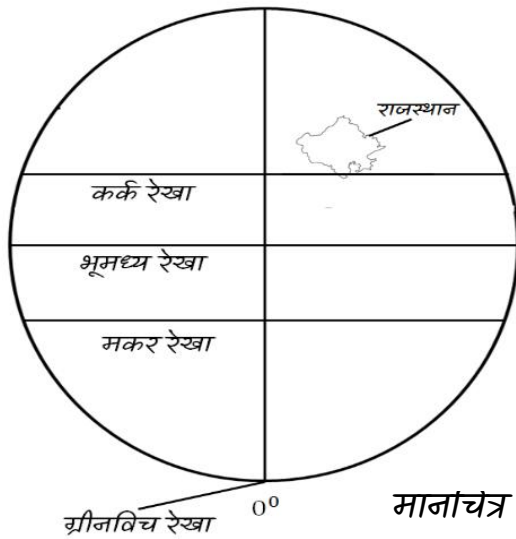
$1^{\circ} = 111.4$ किलोमीटर होता है।

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत का 10.41% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।

1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश था। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग हो जाने पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बन गया।

2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि कुल देश की जनसंख्या का 5.67% है।

➤ कर्क रेखा राजस्थान में स्थित :-



कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-

1. गुजरात 2. राजस्थान 3. मध्यप्रदेश 4. छत्तीसगढ़ 5. झारखंड 6. पश्चिम बंगाल 7. त्रिपुरा 8. मिजोरम

राजस्थान में कर्क रेखा बाँसवाड़ा जिले के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा इंगरपुर जिले को भी स्पर्श करती है, अर्थात् कुल दो जिलों से होकर गुजरती है।

राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।

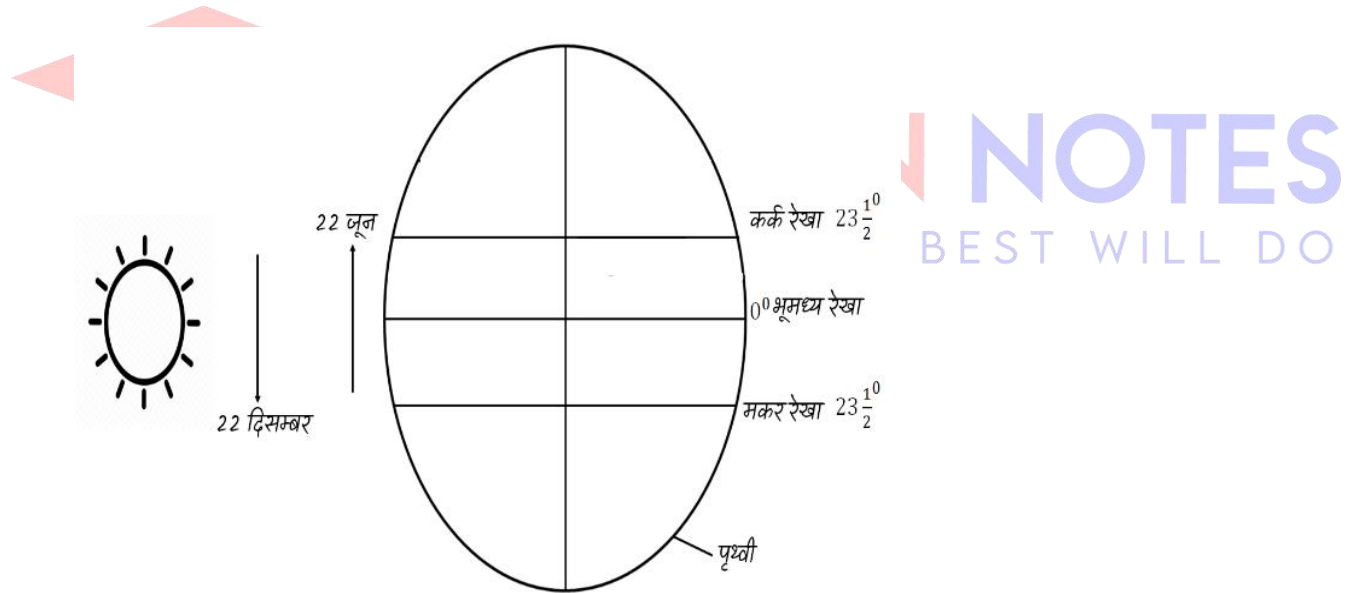
राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।

भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, अतः वहां पर तापमान अधिक होता है। जैसे-जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे-वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।

राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं।

कारण :- बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है, तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए, एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राज्य का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरू है। यह जिला सदियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है इसका कारण यहां पाई जाने वाली रेत व जिप्सम है।



(निम्न मानचित्र को ध्यान से समझिए) -

नोट :- जैसे कि ऊपर दिए गए मानचित्र में समझाया है कि, सूर्य 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा पर चमकता है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। अर्थात् 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे-

वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा की ओर बढ़ता जाता है, फिर 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर पहुंचने के बाद जनवरी, फरवरी, जून में जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे-वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, अर्थात् सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, इस क्षेत्र को ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं ध्रुवों पर सूर्य की किरणें ना पहुंचने के कारण वहाँ वर्ष भर बर्फ पाई जाती है।

इस प्रकार राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बाँसवाड़ा में सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ती हैं, (कर्क रेखा के सबसे नजदीक होने के कारण) इसलिए बाँसवाड़ा

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - ॥

जनसंख्या

2021 की अनुमानित जनसंख्या

2020 में राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या	79,502,477
2021 में पुरुषों की अनुमानित जनसंख्या	41,235,725
2021 में महिलाओं की अनुमानित जनसंख्या	38,266,753

2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या

2011 में राजस्थान की कुल आबादी	68,548,437
पुरुषों की जनसंख्या	35,554,169
महिलाओं की जनसंख्या	32,994,268
भारत की जनसंख्या (प्र.)	5.66%
लिंगानुपात	928
बच्चों का लिंगानुपात	888
घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	200
घनत्व (मील प्रति वर्ग)	519
क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.)	342,239
क्षेत्र (मील प्रति वर्ग)	132,139

बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष	10,649,504
लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष	5,639,176
लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष	5,010,328
साक्षरता	66.11%
साक्षरता पुरुष (प्र.)	79.19%
साक्षरता महिलाएं (प्र.)	52.13%
कुल साक्षर	38,275,282
साक्षर पुरुष	23,688,412
साक्षर महिलाएं	14,586,870

राजस्थान की आबादी - धर्म के अनुसार विवरण

धर्म	2011 जनसंख्या	प्रतिशत	2021 की अनुमानित जनसंख्या
हिंदु	60,657,103	88.49%	70,350,108
मुसलमान	6,215,377	9.07%	7,208,594
ईसाई	96,430	0.14%	111,840
सिख	872,930	1.27%	1,012,424
बौद्ध	12,185	0.02%	14,132

जैन	622,023	0.91%	721,422
अघोषित	67,713	0.10%	78,534
अन्य	4,676	0.01%	5,423
कुल	68,548,437	100.00%	79,502,477

राजस्थान जनसंख्या तथ्य

विवरण	जिला	2011 के अनुसार
सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला	जयपुर	6,626,178
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला	जैसलमेर	669,919
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला	डूंगरपुर	994
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला	धौलपुर	846
सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला	कोटा	76.56%
सबसे कम साक्षरता वाला जिला	जालोर	54.86%

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास

Whatsapp - <https://wa.link/thcvpm> 91 website - <https://bit.ly/raj-police-notes>



हैं कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण सभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 7

खान एवं खनिज

प्रिय छात्रों इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं।

खनिज

खनिज या खनिज पदार्थ ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं - लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट (जिससे एल्युमिनियम बनता है), नमक (पाकिस्तान व भारत के अनेक क्षेत्रों में खान से नमक निकाला जाता है), जस्ता, चूना पत्थर इत्यादि।

पृथ्वी की भू-पट्टी में पाई जाने वाली यौगिक जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है, वह खनिज कहलाते हैं।

ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है तथा उनसे धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है उन्हें अयस्क कहते हैं।

जैसे-

धातु अयस्क

हेमेटाइट	लोहा
बॉक्साइट	एल्युमिनियम
गैलेना	शीशा
डोलोमाइट	कैल्शियम
सिडेराइट	लोहा
मेलेकाइट	तांबा

खनिजों के प्रकार

खनिज तीन प्रकार के होते हैं; धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज।

धात्विक खनिज:

लोह धातु: लोह अयस्क, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, आदि।

अलोह धातु: तांबा, लेड, टिन, बॉक्साइट, आदि।

बहुमूल्य खनिज: सोना, चाँदी, प्लैटिनम, आदि।

अधात्विक खनिज:

अभ्रक, लवण, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, आदि।

ऊर्जा खनिज: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।

खनिज के भंडार:

आग्नेय और स्पांतरित चट्टानों में: - इस प्रकार की चट्टानों में खनिजों के छोटे जमाव शिराओं के रूप में, और बड़े जमाव परत के रूप में पाये जाते हैं। जब खनिज पिघली हुई या गैसीय अवस्था में होती है तो खनिज का निर्माण आग्नेय और स्पांतरित चट्टानों में होता है। पिघली हुई या गैसीय अवस्था में खनिज दरारों से होते हुए भूमि की ऊपरी सतह तक पहुँच जाते हैं।
उदाहरण: टिन, जस्ता, लेड, आदि।

अवसादी चट्टानों में: - इस प्रकार की चट्टानों में खनिज परतों में पाये जाते हैं। उदाहरण: कोयला, लोह अयस्क, जिप्सम, पोटाश लवण और सोडियम लवण, आदि।

धरातलीय चट्टानों के अपघटन के द्वारा: - जब अपरदन द्वारा शैलों के घुलनशील अवयव निकल जाते हैं तो बचे हुए अपशिष्ट में खनिज रह जाता है। बॉक्साइट का निर्माण इसी तरह से होता है।

जलोढ़ जमाव के रूप में: - इस प्रकार से बनने वाले खनिज नदी के बहाव द्वारा लाये जाते हैं और जमा होते हैं। इस प्रकार के खनिज रेतीली घाटी की तली और पहाड़ियों के आधार में पाये जाते हैं। ऐसे में वो खनिज मिलते हैं जिनका अपरदन जल द्वारा नहीं होता है। उदाहरण: सोना, चाँदी, टिन, प्लैटिनम, आदि।

महासागर के जल में: - समुद्र में पाये जाने वाले अधिकतर खनिज इतने विरल होते हैं कि इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। लेकिन समुद्र के जल से साधारण नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन निकाला जाता है।

राजस्थान में खनिज संसाधन -

प्रिय छात्रों राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।

जैसा कि आपको पता है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहां पाई जाने वाली अधिक विविधताओं के कारण या यह राज्य खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। और इसी वजह से इसे "खनिजों का अजायबघर" भी कहा जाता है। दोस्तों खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान आता है जबकि खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से झारखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, असम के बाद राजस्थान का पांचवा स्थान है। राजस्थान में कुल होने वाले देश के खनिज क्षेत्र का 5.7% क्षेत्रफल आता है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में स्थित है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है।

राजस्थान में 80 से अधिक खनिज पाए जाते हैं आइए जानते हैं कौन - कौन से खनिज यहां पाए जाते हैं।

1. ऐसे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है -

पन्ना, ज़ास्पर, तामड़ा, वोलेस्टोनाइट

2. ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है -

जस्ता - 97%, फ्लोराइट 96 %, एबेस्टोस 96 %, रॉकफोस्फेट 95%, जिप्सम 94 % चूना पत्थर 98%, खड़ियामिट्टी 92%, घीयापत्थर 90 %, चांदी 80%, मकराना (मार्बल) 75%, सीसा 75%, फेस्फार 75%, टंगस्टन 75%, कैल्साइट 70%, फायरक्ले 65%, ईमारतीपत्थर 60%, बेंटोनाइट 60%, कैडमियम 60%

3. वे खनिज जिनकी राजस्थान में कमी है - लोहा, कोयला, मैंगनीज, खनिज तेल, ग्रेफाइट

राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है -

1. धात्विक खनिज - लौहअयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदीइत्यादि।
2. अधात्विक खनिज - अभ्रक, एस्बेस्टस, फेल्सपार, बालुका मिट्टी, चूनापत्थर, पन्ना, तामड़ा इत्यादि।
3. ईंधन - कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि।

दोस्तों खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश काफी समृद्ध हैं।

धात्विक खनिज -

1. लोहा - राजस्थान में लोहा मुख्य रूप से अरावली के उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में पाया जाता है।

लोहा अयस्क चार प्रकार का होता है-

- i. मैंग्रोटाइट-74 %
- ii. हेमेटाइट- 64 %
- iii. लिमोनाइट- 50 %

iv. सिंढेराइट- 40%

राजस्थान में मुख्य रूप से लौहे का उत्पादन निम्न स्थानों पर होता है एवं राजस्थान में हेमेटाइट वलिमोनाइट लौह अयस्क पाया जाता है।

प्रमुख खान-

मोरीजा- बानोल- जयपुर

- नीमला- रायसेला- दौसा
- सिघाना- डाबना-झुंझुनू
- नीम का थाना- सीकर
- धूरहुण्डेर- उदयपुर
- नाथरा की पाल-उदयपुर

राजस्थान में सबसे अधिक लौहे का उत्पादन जयपुर जिले से होता है। यह हेमेटाइट प्रकार का है।

2. सीसा-जस्ता :-सीसे जस्ते के अयस्क को गेलेनाक हा जाता है। यह अयस्क मिश्रित रूप में मिलने के कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं।

राजस्थान में जिन स्थानों पर सीसे-जस्ते का उत्खनन होता है उन्हीं स्थानों से चांदी व तांबा का उत्खनन होता है।

प्रमुख खान-

जावर खान- उदयपुर

यह देश की सबसे बड़ी जस्ते की खान है।

- राजपुरा-दरीबा- राजसमंद
- पुर- दरीबा- भीलवाड़ा
- रामपुरा- आगूचा- भीलवाड़ा

• गुड़ा किशोरवास- अलवर

• चौथ का बरवाड़ा- सवाईमाधोपुर

• मेचिया-मगरा- उदयपुर

• रेल- मगरा- राजसमंद

• रघुनाथगढ़- सीकर

राजस्थान में जस्ते के उत्खनन के लिए दो संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

i. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर:- इसकी स्थापना केन्द्र सरकार के द्वारा की गई जो मुख्य रूप से देवारी नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य करता है।

ii. चन्देरिया-स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़- इसकी स्थापना ब्रिटेन पके सहयोग से की गई जो मुख्य रूप से जस्ते का उत्खनन कार्य करता है।

राजस्थान में सीसा गलाने का संयंत्र ना होने के कारण सीसे के अयस्क को टुंडू (बिहार) भेजा जाता है।

राजसमंद के दरीबा, नामक स्थान पर सीसा गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है लेकिन इसकी क्षमता कम होने के कारण सीसे के बचे हुए अयस्क को बिहार भेजा जाता है।

3. चांदी :- देश में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है।

प्रमुख खान

- राजपुर- दरीबा- राजसमंद
- रामपुरा- आगूचा- भीलवाड़ा

4. सोना :- राजस्थान में सबसे अधिक सोने के भण्डार बाँसवाड़ा जिले में पाये जाते हैं। इसके अलावा दौसा जिले में भी सोने के क्षेत्रों का पताल गाया गया है।

बाँसवाड़ा की प्रमुख खान

- आनन्दपुर- भूकिया क्षेत्र

• जगतपुरा क्षेत्र

नोट-आनन्दपुर भूखिया बाँसवाड़ा में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड के द्वारा सोने की खोज का कार्य किया जा रहा है।

5. तांबा :-तांबा राजस्थान में सबसे अधिक खेतड़ी नामक स्थान से निकाला जाता है।

तांबे के उत्पादन में राजस्थान का उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान है एवं भंडार की दृष्टि से उड़ीसा ,आंध्रप्रदेश के बाद तीसरा स्थान है।

राजस्थान में तांबा परिशोधन शाला खेतड़ी कस्बे में स्थापित की गयी है।

राजस्थान में तांबे के उत्खनन का कार्य हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की राजस्थान में 3 परियोजनाएं चल रही हैं।

i. HCL- Hindustan Copper Ltd.- खेतड़ी (झुंझुनू)

ii. चांदमारी- कॉपर लि.-झुंझुनू

iii. नीम का थाना कॉपर लि. - सीकर

तांबे के प्रमुख उत्खनन क्षेत्र

- खेतड़ी- झुंझुनू {तांबा तीनों चट्टानों में पाया जाता है आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित}
- खो. दरीबा- अलवर
- नीम का थाना- सीकर
- पुर-दरीबा- भीलवाड़ा
- भगोनी- अलवर
- बलों वाली की ढाणी- सीकर
- राजपुर- दरीबा- राजसमंद

नोट-राजस्थान में सबसे अधिक ताबे के क्षेत्रों का नीम का थाना सीकर में पता लगाया गया है-

6. मँगनीज :-राजस्थान में सबसे अधिक मँगनीज का उत्पादन बाँसवाड़ा जिले में होता है।

7. संगमरमर :

संगमरमर मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाएँ जाते हैं।

चूना-पत्थर पर आधारित दाब, ताप एवं आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टाने कठोर हो जाती हैं उन अवसादी चट्टानों को मार्बल (संगमरमर) कहा जाता है।

- राजनगर- राजसमंद

राजस्थान में सबसे अधिक मार्बल का उत्पादन राजसमंद जिले से होता है एवं राजस्थान में सबसे अधिक खनन के पट्टे मार्बल के हैं।

- किशनगढ़- अजमेर

राजस्थान के किशनगढ़ में देश की सबसे बड़ी संगमरमर मण्डी है या संगमरमर परिशोधन शाला है।

- मकराना- नागौर

मकराना के संगमरमर से आगरा का ताजमहल, जौधपुर का जसवंतथड़ा, सिरोही के देलवाड़ा के जैन मंदिर एवं कलकत्ता का विक्टोरिया भवन निर्मित हैं।

नोट - विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध संगमरमर इटली देश में पाया जाता है- इटालियन मार्बल।

- सफेद संगमरमर - मकराना नागौर
- गुलाबी - भरतपुर
- पीला एवं बीटदार - जैसलमेर
- बादामी - जौधपुर
- काला - भैंसलाना (जयपुर)
- हरा - उदयपुर

- गुलाबी लहरदार - राजसमंद
- लाल - धौलपुर, करौली

नोट- धौलपुर के लाल संगमरमर से राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है

नोट- मकराना के सफेद संगमरमर को कैल्साइट के नाम से जाना जाता है।

● खेरवाड़ा- उदयपुर :-

राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में खेरवाड़ा उदयपुर की खान को प्रदूषण मुक्त खान प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

8. टंगस्टन :- इस खनिज का उपयोग विद्युत उपकरणों, रक्षा उपकरणों एवं वस्तुओं को काटने आदि में किया जाता है। इसके अयस्क के बूलको माइट कहा गया है।

1. डेगाना- भाकर :- यह देश की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना है (सबसे बड़ी खान), नागौर के डेगाना नामक स्थान पर खेत की पहाड़ियों में स्थित है।

2. वालदा क्षेत्र :- राजस्थान राज्य टंगस्टन विभाग के द्वारा वालदा में भी टंगस्टन का खनन प्रारंभ कर दिया गया है।

- आबू रेवदार - सिरोही
- सेवरिया- पाली
- पीपलिया- पाली

9. जिप्सम :- हरसोठ/ कैल्शियम सल्फेट। इसका रेवदार रूप सेलेनाइट कहलाता है एवं इसको सुखाने पर P.O.P. (Plastic of Paris) की प्राप्ति होती है एवं राजस्थान में क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रासायनिक खाद, रंगरोगन एवं गंधक काते जाबके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।

इसका सर्वाधिक उत्पादन नागौर जिले में होता है।

प्रमुख क्षेत्र

- गौँठ-मांगलोद- नागौर (सर्वाधिक)
- भदवासी- नागौर
- बिरसासर- राज्य की सबसे बड़ी खान - बीकानेर
- जामसर- राज्य का सबसे बड़ा जमाव- बीकानेर

प्रमुख खान / क्षेत्र

- गोठ मांग लोद (नागौर) - सर्वाधिक जिप्सम
- भदवासी (नागौर)
- बिरसा सर- राज्य की सबसे बड़ी खान (बीकानेर)
- जामसर- राज्य का सबसे बड़ा जमाव (बीकानेर)
- इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर में भी पाया जाता है।

चूना-पत्थर

- यह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
- चूना पत्थर की खानों में अगर 45 % से अधिक मैग्नीशियम होतो वह 'डोलोमाइट' कहा जाता है।
- स्टील ग्रेट चूना पत्थर- जैसलमेर के शानू क्षेत्र में।
- सीमेंट ग्रेट चूना पत्थर - चितौड़गढ़
- कैमिकल ग्रेट चूना पत्थर- जोधपुर व नागौर

अभ्रक

- अभ्रक आग्नेय एवं कायान्तरिक चट्टानों में टुकड़ों के रूप में पाया जाता है।
- इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में, सजावटी सामानों में एवं ताप भट्टियों में किया जाता है।
- यह ताप का कुचालक होता है।

- **माइकेनाइट उद्योग-** अभ्रक के चूरे से ईंट तथा चादरें बनाने वाले उद्योग को माइकेनाइट उद्योग कहा जाता है।

इस उद्योग के सर्वाधिक

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /



संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

अध्याय - 8

पशु संसाधन

पशुपालन

राजस्थान में 20 वीं पशुगणना

- 20 वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 5.68 मिलियन (5.68 करोड़) है जो कि 2012 की 5.77 लाख (5.77 करोड़) था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66 प्रतिशत की कमी देखी गई है।
- राजस्थान 568 लाख पशुओं के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है।
- राजस्थान गोवंश के मामले में 2012 के 133 लाख की तुलना में 2019 में 139 लाख पशुओं के साथ छठे स्थान पर है। गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है।
- राजस्थान भैंसों के मामले में 2012 के 1.30 लाख की तुलना में 2019 में 1.37 लाख पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। भैंसों में 5.53% की वृद्धि हुई है।
- राजस्थान भेड़ की संख्या के मामले में 2012 के 9.1 मिलियन की तुलना में 2019 में 79 लाख पशुओं के साथ चौथे स्थान पर है। भेड़ में 5% की कमी हुई है।
- राजस्थान बकरी के मामले में 2012 के 216.7 लाख की तुलना में 2019 में 208.4 लाख पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी हुई है।
- राजस्थान ऊंट के मामले में 2012 के 3.26 लाख की तुलना में 2019 में 213 लाख पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई है।
- राजस्थान घोड़ों के मामले में 2012 के 38 लाख की तुलना में 2019 में 34 लाख पशुओं के साथ तीसरे स्थान पर है। घोड़ों की संख्या में 10.85% की कमी हुई है।
- राजस्थान गधों के मामले में 2012 के 81 लाख की तुलना में 2019 में 23 लाख पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। गधों में 71.31% की कमी हुई है।

पशु	कुल संख्या (लाख)	अधिकतम	न्यूनतम
बकरी	208.4	बाड़मेर	धौलपुर
गाय	139	उदयपुर	धौलपुर
भैंस	137	जयपुर	जैसलमेर
भेड़	79	बाड़मेर	बांसवाड़ा
ऊँट	21.3	जैसलमेर	प्रतापगढ़
गधे	23	बाड़मेर	टोंक
घोड़े	34	बीकानेर	डूंगरपूर

राजस्थान में गाय की विभिन्न नस्लें-

1. गिर - यह अजमेर भीलवाड़ा किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ बूंदी आदि में पाई जाती है। मूल स्थान गुजरात है। इसका अन्य नाम अजमेरी अथवा रेहना भी है। यह अधिक दुध देने के लिए प्रसिद्ध है।
2. थारपारकर- यह जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर में सांचौर में पाई जाती है। इसका मूल स्थान मालानी गांव जैसलमेर है।
3. नागौरी- यह नागौर जोधपुर बीकानेर नोखा आदि में पाई जाती है। इसका मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। नागौरी बैल खेत जोतने हेतु प्रसिद्ध है।
4. राठी- यह बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, व चूरु आदि में पाई जाती है। यह लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है जो दुध देने में अग्रणी है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है।

5. **कांकरेज-** बाड़मेर सांचौर नेहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। बोझा ढोने व दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। बेल अधिक बोझा ढोने एवं तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध है।
6. **हरियाणवी-** सीकर झुंझुनू जयपुर गंगानगर हनुमानगढ़ आदि में पाई जाती है। इसका मूल स्थान रोहतक हिसार में गुड़गांव हरियाणा है। यह दुग्ध भार वाहन दोनों दृष्टियों से उपयुक्त है।
7. **मालवी-** झालावाड़ इंगरपुर बाँसवाड़ा कोटा से उदयपुर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। मुख्यतया भारवाही नस्ल है। सांचौर उदयपुर पाली सिरोही में पाई जाती है। अलवर भरतपुर में हल जोतने हेतु प्रसिद्ध है।
8. **सांचोरी-** सांचौर उदयपुर, पाली, सिरोही, में पाई जाती है।
9. **मेवाती-** अलवर, भरतपुर, में पाई जाती है।

विदेशी नस्लें

1. **जर्सी गाय** - यह नस्ल मूलतः अमेरिकी है। यह सर्वाधिक दुध देने हेतु प्रसिद्ध है।
2. **होलिस्टिन गाय** - होलिस्टिन गाय का मूल स्थान होलैंड व अमेरिका है। यह भी अधिक दुध देती है।
3. **रेड डेन गाय** - रेड डेन का मूल स्थान डेनमार्क है।

भैंसों की नस्लें

1. **मुरी** - राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल, भैंस की सर्वोत्तम नस्ल।
2. **जाफराबादी** - सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल।
3. **मेहसाणी** - मूल स्थान मेहसाणा।
4. **भदावरी** - मूलस्थान उत्तरप्रदेश।

भेड़-

देश में भेड़ों की संख्या के आधार पर राज्य का तीसरा स्थान है सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में और न्यूनतम बाँसवाड़ा में पाई जाती हैं

भेड़ों की नस्लें

1. चोकला भेड़ - झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर व जयपुर जिलों में यह पाई जाती है। इससे छापर एवं शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। इससे प्राप्त हुई फाइन मध्यम किस्म का है।
2. मालपुरी भेड़ - यह जयपुर, टोंक, सर्वाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। उन मोटी होने के कारण गलीचे के लिए उपयुक्त है। इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है।
3. सोनाड़ी भेड़ - उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा भीलवाड़ा में पाई जाती है। इसका उपनाम - चनोथर भी है।

पूगल भेड़ - बीकानेर के

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

राजस्थान की राज्यवस्था

अध्याय - 1

राज्यपाल

(अनुच्छेद 153)

- भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है, जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह लिखित किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा लेकिन 7 वें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है -

योग्यताएं -

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।

4. और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) या वह पदत्याग कर सकता है अनुच्छेद 156 (2)
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए "महाभियोग" प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उस प्रकार भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
- राज्यपाल का वर्तमान वेतन ₹ 3,50,000 मासिक है यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें।
- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां -

- अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।
- राज्यपाल की अवधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती।
- जब वह अपने पद पर होता है तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में सिविल करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्य के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्यपाल कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।

- राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्यसचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें।
- राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- राज्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिसका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी आंदोलन होता है। (अनुच्छेद 171) ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य सभा से संबंधित तत्समान सूची में "सहकारी आंदोलन" शामिल नहीं है।

2. विधायी शक्तियां -

- राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है अतः राज्यपाल राज्य विधान मंडल का सत्र आहूत करता है। सत्रावसान करता है। तथा उसका विघटन भी करता है।
- राज्यपाल विधान सभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है।
- राज्य विधान सभा के किसी भी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो योग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन सकता है।

- यदि विधान सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है (अनुच्छेद 333)
- विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है जिस का कार्यकाल 6 सप्ताह तक होता है।
- राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेजता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधायक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। (अनुच्छेद 201)
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधायक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधायक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा।

3. वित्तीय अधिकार -

- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है।
- विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे।

नोट - राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निधारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है।

4. न्यायिक अधिकार -

- राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वह किसी दंड को क्षमा, उसका प्रबिलम्बन, विराम या परिहार कर सकता है या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
- यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। (अनुच्छेद 161)

नोट - राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड आदेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड आदेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

राजस्थान में राज्यपाल

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- सवाई मानसिंह राजस्थान के पहले राज्य प्रमुख थे, जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। नवंबर 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
- राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनीं। श्रीमती प्रभाराव राजस्थान राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल तथा श्रीमती मार्गेट आल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।
- राज्यपाल डॉ संपूणनिंद के कार्यकाल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।
- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -
 1. दरबार सिंह
 2. निर्मल चंद्र जैन
 3. शैलेंद्र कुमार
 4. प्रभाराव

नोट - श्रीमती प्रभाराव की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वें इस प्रकार की राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं।

- राजस्थान में अब तक

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



अध्याय - 3

विधानसभा

- विधानसभा या वैधानिक सभा को द्विसदनीय राज्यों में निचला सदन और एक सदनीय राज्यों में सोल हाउस कहा जाता है।
- दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्रशासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है।
- द्वि सदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है।
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का आकार 60 सदस्यों से कम का है।
- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है।
- आपात काल के दौरान, इस के सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है।
- विधान सभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं।

सदस्य बनने हेतु योग्यता

- विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

- वह मानसिक रूप से ठीक व दीवालिया न हो ।
- उसको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा न होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है ।

विधानसभा की विशेष शक्तियां

- सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल विधान सभा में पारित किया जा सकता है ।
- मनीबिल को केवल विधानसभा में लाया जा सकता है ।
- द्वि-सदनीय प्रणालियों में विधानसभा से पास हो जाने के बाद इसे विधान परिषद् के पास भेजा जाता है जहाँ इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए रखा जा सकता है ।
- साधारण बिलों में विधानसभा का ही मत चलता है । और यहाँ संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं होता ।
- इस तरह के मामलों में, विधान परिषद् द्वि विधानसभा को केवल 4 महीनों (बिल लाने पर पहली बार 3 महीनों के लिया व दूसरी बार 1 महीने के लिए) स्थगित किया जा सकता है ।

राजस्थान विधानसभा

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को एक या दो सदनों से मिल कर एक विधायिका स्थापित करनी थी । राजस्थान ने एक सदनीय व्यवस्था का चुनाव किया और इसकी विधानसभा को राजस्थान विधानसभा के रूप में जाना जाता है ।
- राजस्थान विधानसभा भारतीय राज्य राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है ।
- यह राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है ।
- विधानसभा सदस्यों अर्थात् विधायकों का चुनाव सीधे जनता करती है ।
- वर्तमान में इसमें विधायक संख्या 200 है ।
- प्रथम राजस्थान विधानसभा (1952-1957) का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ । इसमें 160 सदस्य

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के



इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगें हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



राजस्थान राज्य महिला आयोग

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रैल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया।

इतिहास-

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। फिर उसके बाद से 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के दशक के रूप में 1976-85 की घोषणा की।

सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. (कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन) पर 1979 में हस्ताक्षर किए, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चित करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है। लेकिन भारत ने 9 जुलाई, 1993 इस संधि सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू. पर कुछ संशोधनों के साथ हस्ताक्षर किये हैं, कि इससे न केवल लैंगिक भेदभाव को रोकता है, लेकिन यह भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए, संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत में महिलाओं के लिए प्रदान की संवैधानिक अधिकार के कार्यान्वयन धीमा था। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि थी। इस पर अंकुश लगाने के लिए, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति को 1996 में घोषित किया गया था। इसमें महिलाओं के विकास के लिए, और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग व राज्य आयोगों के गठन का प्रस्ताव किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के तहत

15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन, एक साविधिक निकाय व स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया।

आयोग के मुख्य कार्य-

(आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख अधिनियम की धारा 11 में किया गया है।)

- महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जाँच करना एवं उस मामले में सरकार को सिफारिश करना।
- प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।
- राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
- महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना।

आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

महिला एवं बाल अपराध कानून / अधिनियम

विश्व में समय - समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति - रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं।

इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्यकता थी। इसलिए समय - समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।

हिंसा - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने उद्देश्यों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।

अपराध - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।

उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखे जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं -

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगने वाले आग की तरह है, जिसे समय पर न रोका जाए तो आने वाले समय में यह विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है।

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगी आग की भांति होती है अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह भयंकर विध्वंस का रूप धारण कर मानव जाति पर एक प्रक्ष खड़ा कर सकती है।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्व विधि -

1. हिन्दू विधवाओं 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939
13. कारखाना अधिनियम, 1948
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952

17.विशेष विवाह अधिनियम, 1954

18.हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

19.किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल

नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /



संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

भारतीय दण्ड संहिता संशोधित अधिनियम 2018

6 अगस्त, 2018 को बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा आपराधिक कानून (संशोधन) विधयेक, राज्य सभा में पारित हुआ।

लोक सभा में यह 30 जुलाई, 2018 में पारित हुआ था।

इस विधयेक में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

यह विधयेक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 166-A, 228-A, तथा 376 में संशोधन करता है तथा तीन नई 376-AB, 376-DA और 376-DB जोड़ता है।

देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों (खास कर यौन उत्पीड़न) के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में ये कानून लागू किया गया है। नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के मामले में पीड़ित की मौत हो जाने या उसके स्थायी रूप से मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सजा का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376 D के तहत सजा की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष रखी गयी है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। कानून में सहमति से यौन सम्बन्ध बनाने की उम्र 18 साल तय की गयी है। महिलाओं का पीछा करने एवं ताक - झाक पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामले में पहली बार में गलती हो सकती है, इसलिए इसे जमानती रखा गया है, लेकिन दूसरी बार ऐसा करने पर इसे गैर जमानती बनाया गया है। तेजाबी हमला करने वालों के लिए 10 वर्ष की सजा

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के



इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगें हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



बच्चों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ

धारा - 82 इस धारा के अनुसार 7 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि कि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती कि वह समझ पाए कि अपराध क्या होता है।

धारा- 83 : इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो उसे अपराध की श्रेणी में आएँगा। यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है।

धारा - 305 : किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जायेगा।

प्रावधान -

सजा 7 वर्ष

धारा - 326 : इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ तेजाब, हथियार आदि से हमला करना अपराध माना जायेगा।

प्रावधान -

जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत अपराध किया है। उस व्यक्ति को इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा प्रावधान किया गया है या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, या इसके अलावा साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

धारा-326 A इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबुझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है।

धारा-326 B : यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास किया जाता है तो निम्न प्रावधान हैं - कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष सजा का प्रावधान है।

धारा - 369 : इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग को चुराया जाए तो यह अपराध होगा जिसके लिए निम्न प्रावधान हैं।

कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक सजा 5 वर्ष तक के सजा

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भारत सरकार का

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

• विविध

राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दिवस 2021

जनवरी	समारोह की तिथि
प्रवासी भारतीय दिवस	09 जनवरी
राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
सड़क सुरक्षा सप्ताह	11 - 17 जनवरी
सेना दिवस	15 जनवरी
राष्ट्रीय बालिका दिवस	24 जनवरी
सुभाष चन्द्र का जन्मदिन	23 जनवरी
गणतंत्र दिवस - 26 जनवरी	26 जनवरी
शहीद दिवस	30 जनवरी
फरवरी	समारोह की तिथि
विश्व कैंसर दिवस	4 फरवरी
वेलेंटाइन्स डे	14 फरवरी
संत रविदास जयंती	27 फरवरी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी
मार्च	समारोह की तिथि
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च
अंतराष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे	18 मार्च
विश्व जल दिवस	22 मार्च
शहीद दिवस	23 मार्च and 30 जनवरी
अप्रैल	समारोह की तिथि
विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
जलियांवाला बाग नरसंहार	13 अप्रैल
अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल
विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
विश्व पुस्तक दिवस	23 अप्रैल
मई	समारोह की तिथि
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस	1 मई
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	3 मई

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	11 मई
मातृ दिवस	09 मई
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस	15 मई
विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
जून	समारोह की तिथि
विश्व दुग्ध दिवस	1 जून
विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून
विश्व रक्त दाता दिवस	14 जून
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून
दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस	26 जून
जुलाई	समारोह की तिथि
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस	1 जुलाई
विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
अगस्त	समारोह की तिथि
अंगदान दिवस	13 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त

अंतराष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस	19 अगस्त
सद्भावना दिवस	20 अगस्त
अंतराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस	21 अगस्त
राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त
सितंबर	समारोह की तिथि
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह	1-7 सितंबर
शिक्षक दिवस	5 सितंबर
अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितंबर
हिन्दी दिवस	14 सितंबर
विश्व ओज़ोन दिवस	16 सितंबर
विश्व पर्यटन दिवस	27 सितंबर
अक्टूबर	समारोह की तिथि
राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस	1 अक्टूबर
छुआछूत विरोधी सप्ताह	2 अक्टूबर

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है



कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण सभव मदद करेंगे ,
धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



Whatsapp - <https://wa.link/thcvpm> 131 website - <https://bit.ly/raj-police-notes>

● भारत में सर्वाधिक बड़ा, लम्बा एवं ऊँचा

- सबसे ऊँचा टी० वी० टॉवर - पीतमपुरा (नई दिल्ली)
- सबसे ऊँचा हवाई पत्तन - लेह (लद्दाख)
- सबसे लम्बी नदी (भारत में बहने के अनुसार) - गंगा नदी
- सबसे लम्बी यात्रा वाली ट्रेन (विद्युत) - राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कोलकाता
- सबसे लम्बी नहर - इंदिरा गाँधी नहर राजस्थान
- “सबसे ऊँचा पर्वत शिखर - गोडविन आस्टिन K-2
- सबसे ऊँचा झरना - कुंचीकल (455 मी), कर्नाटक
- सबसे ऊँचा दरवाजा - बुलन्द दरवाजा, फतेहपुर सीकरी (आगरा)
- सबसे ऊँची मीनार - कुतुबमीनार, दिल्ली
- सबसे ऊँचा बाँध - भाखड़ा बाँध (सतलज नदी पर)
- सबसे ऊँची मूर्ति - ऋषभ देव की मूर्ति (खरगोन, मध्य प्रदेश)
- पर ऊँची झील - देवताल झील (गढ़वाल)
- सबसे लम्बा रेलवे प्लेटफॉर्म - गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
- सबसे लम्बा रेल मार्ग - जम्मू से कन्याकुमारी तक
- सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग - 7 (वाराणसी से कन्याकुमारी)
- सबसे लम्बी तटरेखा वाला राज्य - गुजरात
- सबसे लम्बी सहायक नदी - यमुना नदी
- सबसे लम्बा पुल - बान्द्रा - वर्ली सी-लिक (5,600)मी. मुम्बई महाराष्ट्र

सबसे लम्बी सुरंग	- पीर पजाल सुरंग (जम्मू-कश्मीर)
सबसे लम्बी सड़क	- ग्रांड ट्रंक रोड (g.t. रोड)
सबसे बड़ा चिड़ियाघर	- जवूलोजिकल गार्डन्स, कोलकाता
सबसे बड़ा डेल्टा	- सुन्दरवन डेल्टा
सबसे बड़ा गुम्बद	- गोल गुम्बद, बीजापुर
सबसे बड़ी मस्जिद	- जामा मस्जिद, दिल्ली
सबसे बड़ा रेलवे पुल	- वेम्बानाद (4.62 किमी), केरल
सबसे बड़ा लीवर पुल	- हावड़ा ब्रिज, कोलकाता
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	- गोविन्द सागर, भाखड़ा



नोट - प्रिय पाठकों , यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें , हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे , धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672

• विश्व के प्रमुख संगठन

A. संयुक्त राष्ट्र संघ UNO

1. अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की प्रेरणा से 12 जून, 1941 को ब्रिटेन व राष्ट्रमंडल देशों के अलावा नौ अन्य देशों ने लंदन में एक संयुक्त घोषणा की, जिसके माध्यम से विश्व शांति व सुरक्षा के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता पर सहमति प्रदर्शित की गयी। परंतु इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन 21 अगस्त से 28 सितंबर 1944 के मध्य वाशिंगटन डी.सी. में हुआ, जिसे डंबर्टन ओक्स सम्मेलन का नाम दिया गया। इसी सम्मेलन में नए संगठन के सर्वमान्य सिद्धांतों तथा नामकरण प्रस्ताव को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया गया।
2. सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन, जो 25 अप्रैल-26 जुलाई, 1945 तक हुआ, में संयुक्त राष्ट्र संगठन के संविधान को पचास राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
3. पोलैंड ने सम्मेलन के कुछ समय उपरांत अपनी सहमति प्रदान की, परंतु इसे भी संस्थापक सदस्यों में शामिल किया गया।
4. 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक रूप से प्रादुर्भाव हुआ।
5. संयुक्त राष्ट्र (United Nation) का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया।
6. संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज नीली पृष्ठभूमि पर एक विश्व मानचित्र को दर्शाता है, जो जैतून की शाखाओं का हार पहने हुए है। जैतून की शाखाएं विश्व शांति की प्रतीक हैं।
7. संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को 193 देशों द्वारा ग्रहण किया जा चुका है।
8. वर्ष 2011 में दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वाँ सदस्य बना।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इसका संविधान है इस चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं तथा 19 अध्याय हैं।
10. संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र। के अनुसार, इसके निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं -

(a) अंतराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, (b) सभी राष्ट्र के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना, (c) अंतराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, (d) इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने वाली केंद्र की भूमिका अदा करना।

11. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन, जो जॉन डी. रॉकफेलर ने दान में दी थी, पर 39 मंजिलें हैं, जो मैनहैटन दीप में बना है।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यहां इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर, 1952 में आयोजित हुई थी।

13. संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यय इसके सदस्य देश वहन करते हैं।

14. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय तीन के अनुच्छेद 7 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न छः प्रमुख अंग हैं -

(a) महासभा (General assembly)

(b) सुरक्षा परिषद (security council)

(c) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (Economic and social council)

(d) प्रत्यास परिषद (trusteeship council)

(e) अंतराष्ट्रीय न्यायालय (international court of justice)

(f) सचिवालय (Secretariat)।

1. महासभा

1. संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मुख्य अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे विश्व के लघु संसद भी कहा गया है।

2. प्रत्येक देश इसमें पाँच प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है।

3. महासभा का नियमित अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक अधिवेशन में महासभा द्वारा अपने नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्षों तथा 7 समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है

4. नियमित अधिवेशन के अलावा सुरक्षा परिषद की सिफारिश, सदस्य राष्ट्रों की मांग या अन्य राष्ट्रों के समर्थन-प्राप्त किसी एक सदस्य की मांग पर महासभा का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।

5. महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पंद्रह न्यायाधीशों का चुनाव व नियुक्ति करती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर यह किसी नये देश को सदस्यता प्रदान कर सकती है तथा अपने महासचिव को नियुक्त करती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट भी पारित करती है।

6. महासभा अपने कार्यों को निम्न सात प्रमुख समितियों के माध्यम से करती है :-

(a) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण समिति, विशेष राजनीतिक समिति

(b) आर्थिक एवं वित्तीय समिति

(c) सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति

(d) उपनिवेशीकरण

(e) प्रशासन एवं बजट समिति

(f) कानूनी समिति

2. सुरक्षा परिषद

1. सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है और यह कार्यपालिका है।

2. सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं; जिनमें पांच स्थाई सदस्य और दस अस्थायी सदस्य हैं।

3. सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य हैं- (a). अमेरिका, (b). रूस, (c). ब्रिटेन, (d). फ्रांस, (e). साम्यवादी चीन।

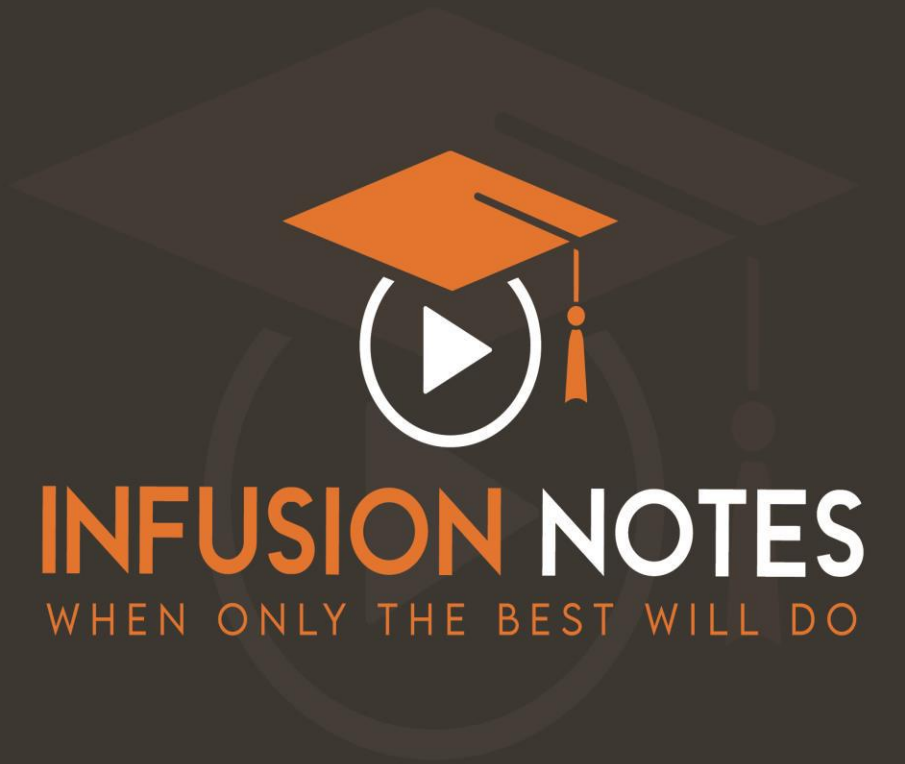
4. सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, उनका क्षेत्रीय वितरण इस प्रकार है - अफ्रीका-एशिया देश-5, लैटिन अमेरिका देश-2, पश्चिमी यूरोपियन तथा अन्य देश-2, पूर्वी यूरोपियन देश-1।

5. सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है

6. सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों को वीटो (Veto) का अधिकार है, जिसका अर्थ निषेधात्मक

नोट - प्रिय पाठकों, यह अध्याय अभी यही समाप्त नहीं हुआ है यह एक सैंपल मात्र है / इसमें अभी और भी कंटेंट पढ़ना बाकी है जो आपको “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” के इन कम्पलीट नोट्स में पढ़ने को मिलेगा / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए हमारे संपर्क नंबर पर कॉल करें, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे, धन्यवाद /

संपर्क करें - 8233195718, 9694804063, 8504091672



INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

AVAILABLE ON/  



01414045784



contact@infusionnotes.com



<http://www.infusionnotes.com/>